

Deep Freezer

Equipment	Short Title	Notification / Regulation / Amendment & Date	Reference IS / IEC
Deep Freezer	14 (a)	S.O. 481(E) dated 2 nd February 2023	IS7872 with all amendments
	14 (b)	S.O. 482(E) dated 2 nd February 2023	
	14 (d)	No. BEE/S&L/Deep Freezer/128/2022-23 dated 31 st January 2023	


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06022023-243468
CG-DL-E-06022023-243468

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 466]
No. 466]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 2, 2023/माघ 13, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 2, 2023/MAGHA 13, 1944

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2023

का.आ. 481(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, भारत में विनिर्मित, वाणिज्यिक रूप से खरीदे या बेचे जा रहे 1000 लीटर तक की भंडारण मात्रा वाले वेपर कम्प्रेसन प्रकार के डीप फ्रीजरो के लिए एतद्वारा निम्नलिखित ऊर्जा खपत मानक विनिर्दिष्ट करती है, जो, -

(1) अनुपालन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, अर्थात्,-

(क) उक्त साधित्र श्रेणी के लिए, जहां कहीं लागू हो, भारतीय मानक ब्यूरो के क्वालिटी नियंत्रण आदेश के उपबंधों के अनुसार सुरक्षा अपेक्षाएं;

टिप्पण: उत्पाद को अनिवार्य भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन (क्यूसीओ) के अंतर्गत जाने तक, सभी संशोधनों सहित आईएस 7872 में विनिर्दिष्ट सुरक्षा अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में परीक्षण रिपोर्ट ब्यूरो को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक, आईएस 7872 के अनुसार पुलडाउन टाइम, नोलोड ऊर्जा खपत और भंडारण मात्रा के लिए निष्पाद न अपेक्षाएं।

(2) डीप फ्रीजरों पर चिपकाए जाने वाले लेबल में एक स्टार के अंतराल के साथ अधिकतम पांच सितारे प्रदर्शित होंगे, और डीप फ्रीजरों को उनकी सापेक्ष वार्षिक ऊर्जा खपत के आधार पर स्टार एक से स्टार पांच तक रेट किया जाएगा।

2. परिभाषाएं.—इस अधिसूचना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "वार्षिक ऊर्जा खपत" से किसी यूनिट द्वारा प्रतिवर्ष खपत की गई ऊर्जा (किलोवाट घंटे में) अभिप्रेत है। इसकी गणना नीचे दिए गए सूत्र का उपयोग कर की जा सकती है

$$\text{वार्षिक ऊर्जा खपत (एईसी), के डब्ल्यू एच/ वर्ष} = 24\text{-घंटे ऊर्जा खपत} * 365;$$

टिप्पण: चौबीस घंटे की ऊर्जा खपत की गणना यूनिट को 6 घंटे तक चला कर की जाएगी।

(ख) "ऊर्जा की खपत" से डीप फ्रीजर द्वारा किलोवाट घंटे में इस मानक के अनुसार नियत यथा अवधारित, विनिर्दिष्ट समयावधि में या विनिर्दिष्ट संचालन के लिए प्रयुक्त ऊर्जा अभिप्रेत है;

(ग) "मॉडलों की फैमिली" से किसी विशिष्ट ब्रांड के मॉडल की रेंज अभिप्रेत है, जिसके लिए परीक्षण रिपोर्टों का एकल सेट स्वीकार्य और मान्य है, परंतु यह तब जबकि प्रत्येक मॉडल में प्रदर्शन विनिर्देश समान हों और जहां प्रत्येक मॉडल की प्रासंगिक भौतिक विशेषताएं, वार्षिक ऊर्जा खपत, स्टार रेटिंग और अन्य प्रदर्शन विशेषताएं समान हों;

(घ) "फूड फ्रीजर" से कोई थर्मली इंसुलेटेड कैबिनेट अभिप्रेत है, जिसका आशय भोजन को -18 डिग्री सेल्सियस पर या उससे कम तापमान पर लाने पर भंडारण अनुप्रयोग के लिए जमे हुए भोजन का भंडारण करना है;

(ङ) "ग्लास टॉप चैस्ट फ्रीजर्स" से ऐसे टॉप एक्सेस टाइप डीप फ्रीजर मॉडल की रेंज अभिप्रेत है, जिसमें एक कठोर ग्लास का दरवाजा (स्लाइडिंग, हिंज्ड और कवर्ड) होता है, ताकि ग्राहक उत्पादों को बिना दरवाजा खोले देख सकें;

(च) "हार्ड टॉप चैस्ट फ्रीजर्स" से ऐसे टॉप एक्सेस टाइप डीप फ्रीजर मॉडल की रेंज अभिप्रेत है, जिसमें एक अपारदर्शी दरवाजा होता है, जो आमतौर पर बाँड़ी के मैटीरियल जैसा ही होता है;

(छ) "लेबल अवधि" से अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट स्टार रेटिंग योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए ऊर्जा खपत मानकों की लेबल विधिमान्य अवधि अभिप्रेत है;

(ज) "स्टार रेटिंग" से ऊर्जा लेबल पर प्रदर्शित स्टारों की संख्या अभिप्रेत है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) उपलब्ध स्टार एक-स्टार अंतराल में दर्शाए गए न्यूनतम एक और अधिकतम पाँच के बीच हैं।

(ii) स्टार रेटिंग की गणना स्टार रेटिंग बैंड से की जाती है; और

(iii) भंडारण मात्रा के आधार पर विभिन्न मॉडलों के लिए स्टार रेटिंग का अवधारण अलग-अलग होगा।

(झ) "स्टार रेटिंग बैंड" से वार्षिक ऊर्जा खपत (किवाघं/वर्ष) की रेंज अभिप्रेत है जिसे गणना द्वारा प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग ऊर्जा लेबल पर प्रदर्शित किए जाने वाले स्टारों की संख्या अवधारित करने के लिए किया जाता है;

(ञ) "भंडारण मात्रा (वी), लीटर में" से भोजन के भंडारण के लिए, खाद्य भंडारण के लिए अनुपयोगी के रूप में पहचाने जाने वाले घटकों और स्थानों की मात्रा को कम करने के बाद शेष (अधिकतम भंडारण सीमा रेखा को ध्यान में रखते हुए) फ्रीजर की आंतरिक दीवारों के भीतर निहित कुल मात्रा अभिप्रेत है;

(ट) "टॉप एक्सेस टाइप डीप फ्रीजर" से ऐसा फूड फ्रीजर अभिप्रेत है जिसमें भंडारण कक्ष में शीर्ष से पहुंचा जा सकता है;

3. स्टार स्तर या स्टार रेटिंग योजना.—(1) डीप फ्रीजर के स्टार स्तर या स्टार रेटिंग का अवधारण वार्षिक ऊर्जा खपत के मूल्यांकन द्वारा किया जाएगा जो स्टार रेटिंग पैरामीटर के डीसी (कॉन्स्टेंट मल्टी प्लायर (किवाघं/ लीटर/वर्ष) और

सीडीसी [कॉन्स्टेंट फिक्स्ड अलाउंस (किवाघ/वर्ष)] से प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद के केडीसी और सीडीसी चेस्ट फ्रीजर के प्रकार अर्थात हार्डटॉप या ग्लासटॉप के आधार पर सारणी 3.1 या 3.2 से प्राप्त किए जाएंगे।

सारणी

क्र. सं.	डीप फ्रीजर का प्रकार	प्रयुक्त सारणी
1	हार्डटॉप चेस्टफ्रीजर	3.1
2	ग्लासटॉप चेस्टफ्रीजर	3.2

किसी विशिष्ट मॉडल के लिए स्टार रेटिंग बैंड अवधारित करने के लिए निम्नलिखित समीकरण का उपयोग किया जाएगा:

$$\text{स्टार रेटिंग बैंड (एसआरबी)} = K_{dc} * V + C_{dc}$$

जहां,

K_{dc} = कॉन्स्टेंट मल्टी प्लायर (किवाघ/लीटर/वर्ष)

V = भंडारण मात्रा (लीटर)

C_{dc} = कॉन्स्टेंट फिक्स्ड अलाउंस (किवाघ/वर्ष)

सारणी 3.1 हार्डटॉप टाइप चेस्ट फ्रीजर के लिए स्टार रेटिंग बैंड 1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2025 तक विधिमान्य	
स्टार रेटिंग	38 °C पर वार्षिक ऊर्जा खपत (E _i) किवाघ/वर्ष में
1 स्टार *	$4.23*V + 126.65 \leq AEC < 5.07*V + 151.98$
2 स्टार **	$3.52*V + 105.54 \leq AEC < 4.23*V + 126.65$
3 स्टार ***	$2.82*V + 84.43 \leq AEC < 3.52*V + 105.54$
4 स्टार ****	$2.25*V + 67.55 \leq AEC < 2.82*V + 84.43$
5 स्टार *****	$AEC < 2.25*V + 67.55$

सारणी 3.2 ग्लास टॉप टाइप चेस्ट फ्रीजर के लिए स्टार रेटिंग बैंड 1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2025 तक विधिमान्य	
स्टार रेटिंग	38 °C पर वार्षिक ऊर्जा खपत (E _i) किवाघ/वर्ष में
1 स्टार *	$7.68*V + 511.17 \leq AEC < 9.21*V + 613.40$
2 स्टार **	$6.40*V + 425.97 \leq AEC < 7.68*V + 511.17$
3 स्टार ***	$5.12*V + 340.78 \leq AEC < 6.40*V + 425.97$
4 स्टार ****	$4.09*V + 272.62 \leq AEC < 5.12*V + 340.78$
5 स्टार *****	$AEC < 4.09*V + 272.62$

- (2) सारणियों में विनिर्दिष्ट स्टार रेटिंग योजना खंड 3 के पैरा 1 में यथाविनिर्दिष्ट डीप फ्रीजर के प्रकार के लिए लागू होगी।
- (3) इन मॉडलों के लिए चुना गया स्टार स्तर सारणी 3.1 और 3.2 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक स्टार स्तर बैंड की उनकी सापेक्षिक वार्षिक ऊर्जाखपत की न्यूनतम और अधिकतम सीमा पर आधारित होगा।
- (4) स्टार रेटिंग स्तरों के लिए कोई ऋणतात्मक उदारता नहीं होगी और सभी परीक्षित उपस्कर को प्रत्येक स्टार रेटिंग स्तर के लिए न्यूनतम सीमा को पूरा करना होगा, और विनिर्माता द्वारा, राउंडिंग के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, स्टार रेटिंग का अवधारण करते समय विनिर्माण उदारता और अन्य विविधताओं की गुंजाइश का ध्यान रखा जाएगा, अर्थात्:-

- (क) भंडारण मात्रा के मानोंको राउंड किया जाएगा और दो दशमलव स्थानों तक दर्ज किया जाएगा;
- (ख) वार्षिक ऊर्जा खपत के मानोंको दो दशमलव स्थानों पर राउंड और दर्ज किया जाएगा; और
- (ग) सभी मानोंको सभी संशोधनों सहित आई एस 2:1960 के अनुसार, संबंधित महत्वपूर्ण अंकों तक राउंड ऑफ किया जाएगा।

- (5) स्टार स्तर या स्टार रेटिंग योजना की समीक्षा प्रत्येक दो वर्ष के बाद या सारणी विधिमान्यता अवधि की समाप्ति से पहले, जो भी पहले हो, की जाएगी।

4. परीक्षण विधियां. -(1) प्रत्येक डीप फ्रीजर का परीक्षण सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक आई एस 7872 के अनुसार किया जाएगा।

- (2) परीक्षण के मानदंड पुलडाउन तापमान, वार्षिकऊर्जा खपत और भंडारण मात्रा होंगे।
- (3) वार्षिक ऊर्जाखपत की गणना की पद्धति भारतीय मानक से निम्नलिखित पद्धति पर विचार करते हुए आई एस 7872 के खंड 11.2 के अनुसार होगी, अर्थात्: -

- (i) फ्रीजर को परीक्षण शुरू होने से कम से कम चार घंटे पहले 38 डिग्री सेल्सियस के परिवेशी तापमान में नोलोड पर प्रचालित किया जाएगा। स्थिर प्रचालन स्थितियां (नो लोड) प्राप्त होने के बाद परीक्षण अवधि शुरू हो जाएगी। इसे 6 घंटे तक प्रचालित किया जाएगा और चौबीस घंटे की अवधि के लिए गणना की जाएगी। इस अवधि के दौरान औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए।
- (ii) ऊर्जा की खपत या तो लक्षित तापमान पर एक परीक्षण द्वारा या एक परीक्षण द्वारा लक्षित तापमान प्राप्त नहीं होने पर दो परीक्षणों के परिणामों के अंतर्वेशन द्वारा अवधारित की जाएगी। अंतर्वेशन परीक्षण के लिए प्रयुक्त दो तापमानों के बीच का अंतर 4 °C से अधिक नहीं होगा। गणना की गई ऊर्जा खपत दर E_x निम्नलिखित समीकरण द्वारा दी गई है

$$E_x = E_1 + \left[(E_2 - E_1) \times \frac{(t_x - t_1)}{(t_2 - t_1)} \right]$$

जहां,

E_x = लक्षित तापमान t_x पर साधित्र की गणना की गई ऊर्जा खपत दर;

E_1 = बिंदु 1 के लिए साधित्र की मापित ऊर्जा खपत दर;

E_2 = बिंदु 2 के लिए साधित्र की मापित ऊर्जा खपत दर;

t_1 = बिंदु1 (उष्ण बिंदु) के लिए मापित कक्ष तापमान;

t_2 = बिंदु2 (शीत बिंदु) के लिए मापित कक्ष तापमान; और

$t_s = -18^\circ\text{C}$.

- (iii) पुल-डाउन परीक्षण के लिए परीक्षण प्रक्रिया आई एस 7872 के खंड 11.1 के अनुसार होगी।
- (iv) भंडारण मात्रा के मापन के लिए परीक्षण आई एस 7872 के खंड 8 के अनुसार होगा।
- (v) आईएस / आईईसी 60335-2-89 के अनुसार निम्नलिखित परीक्षणों के संबंध में सुरक्षा अपेक्षाएँ, अर्थात्:-
 - (i) लीकेज करंट;
 - (ii) क्रीपिंग डिस्टेंस;
 - (iii) अर्थिंग कनेक्शन;
 - (iv) उच्च वोल्टेज;
 - (v) बिजली के झटके से सुरक्षा ; और
- (vi) सभी परीक्षण शर्तें सभी संशोधनों सहित आईएस 7872 के खंड 9 के अनुसार होंगी।

5. सहनशीलता – डीप फ्रीजर के नोलोड पुलडाउन और भंडारण मात्रा के लिए सहन सीमा सभी संशोधनों सहित आईएस 7872 के अनुसार होगी, अर्थात्-

- (i) **मात्रा: $\pm 3\%$** की सहन की अनुमति है।
- (ii) **वार्षिक ऊर्जा खपत: 10%** की सहन की अनुमति है। घोषित वार्षिक ऊर्जा खपत $1.1 * \text{मापित वार्षिक ऊर्जा खपत}$ से कम या उसके बराबर होगी।
- (iii) **पुलडाउन:** अधिकतम दो सौ मिनट के पुलडाउन समय की अनुमति है।

6. परीक्षण रिपोर्ट – प्रत्येक यूनिट के परीक्षण का परिणाम की रिपोर्ट उपाबंधक में दी जाएगी।

उपाबंधक

(परीक्षणों के परिणाम सभी संशोधनों सहित आईएस 7872 के अनुसार लागू उल्लिखित परिशिष्ट से संबंधित भागों के साथ रिपोर्ट किए जाएंगे)

परीक्षण के परिणाम की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप

परीक्षण रिपोर्ट संख्या:

परीक्षण की तारीख :

1. चेस्ट फ्रीजर के ब्यौरे

- (i) साधित्र: डीप फ्रीजर
- (ii) ब्रांड:
- (iii) टाइप: हार्डटॉप या ग्लासटॉप
- (iv) मॉडल का नाम या नंबर:
- (v) रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी तथा फेजों की संख्या:
- (vi) रेटेड स्टोरेज वॉल्यूम (लीटर):
- (vii) प्रतिवर्ष बिजली की खपत (किवाघं/वर्ष):
- (viii) विनिर्माण वर्ष:
- (ix) उत्पाद की क्रम संख्या:

2. प्रत्येक परीक्षण प्रकार के लिए, जैसा लागू हो, नीचे दिए गए विशिष्टियों की एक अलग प्रति पूरी कर संलग्न करें:

- (i) परीक्षण की तारीख:
- (ii) परीक्षण अधिकारी:
- (iii) परीक्षण की प्रकृति:
- (iv) परिवेशी परीक्षण स्थितियां:
- (v) परीक्षण मानक:

3. परीक्षण का सार सुरक्षा परीक्षण

मानदंड	विनिर्दिष्ट मान (रेटेड वैल्यू)	मापित मान
रिसाव करंट परीक्षण		
क्रीपेज दूरी		
अर्थिंग कनेक्शन		
उच्च वोल्टेज		
बिजली के झटके से सुरक्षा		

निष्पादन परीक्षण

- (i) ऊर्जा खपत परीक्षण (परीक्षित तीनों यूनिटों के लिए प्रस्तुत करें)

मानदंड	विनिर्दिष्ट मान (रेटेड वैल्यू)	मापित मान यूनिट 1	मापित मान यूनिट 2	मापित मान यूनिट 3
फ्रीजर कक्ष 1 का तापमान (डिग्री सेल्सियस)				
फ्रीजर कक्ष 2 का तापमान (डिग्री सेल्सियस)				
2 से अधिक होने पर फ्रीजर कक्ष का तापमान (डिग्री सेल्सियस)				
फ्रीजर कक्ष का औसत तापमान				
एनर्जी मीटर रीडिंग (वाघं)				
रनिंग टाइम का प्रतिशत (घंटे)				
प्रतिदिन ऊर्जा खपत दर (वाघं/दिन)				
मापित वार्षिक ऊर्जा खपत (किवाघं/वर्ष)				

घोषित वार्षिक ऊर्जा खपत (किवाघ/वर्ष)				
--------------------------------------	--	--	--	--

(ii) पुल-डाउन तापमान परीक्षण (परीक्षित तीनों यूनिटों के लिए प्रस्तुत करें):

परिवेशी परीक्षण स्थिति:

प्रेक्षण और परिणाम:

मानदंड	विनिर्दिष्ट मान (रेटेड वैल्यू)	मापित मान यूनिट 1	मापित मान यूनिट 2	मापित मान यूनिट 3
फ्रीजर कक्ष का तापमान (F1)				
फ्रीजर कक्ष का तापमान (F2)				
तापमान नियंत्रण / थर्मोस्टेट सेटिंग				
पुलडाउन समय (मिनट)				

(iii) सकल और भंडारण मात्रा परीक्षण रिपोर्ट(परीक्षित तीनों यूनिटों के लिए प्रस्तुत करें):

सकल मात्रा(लीटर में)			
विनिर्दिष्ट मान (रेटेड वैल्यू)	मापित मान यूनिट 1	मापित मान यूनिट 2	मापित मान यूनिट 3

भंडारण मात्रा(लीटर में)			
विनिर्दिष्ट मान (रेटेड वैल्यू)	मापित मान यूनिट 1	मापित मान यूनिट 2	मापित मान यूनिट 3

[फा. सं.10/6/2022-ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2023

S.O. 481(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies, the following energy consumption standards for deep freezers of the vapour compression type having a storage volume up to and including 1000 litres being manufactured, commercially purchased or sold in India shall,-

(1) meet the compliance requirements namely,-

(a) safety requirements in accordance with the provisions of Bureau of Indian Standard's Quality Control Order wherever applicable for the said appliance category;

Note: Till the product is brought under mandatory Bureau of Indian Standards certification (QCO), test report regarding compliance with safety requirements as specified in IS 7872 with all amendments shall mandatorily be submitted to the Bureau.

(b) performance requirements for pull down time, no load energy consumption and storage volume in accordance with Indian Standard, IS7872 with all amendments.

(2) The label to be affixed on deep freezers shall display a maximum of five stars with an interval of one star, and the deep freezers shall be rated from star one to star five based on their relative annual energy consumption.

2. Definitions.-In this notification, unless the context otherwise requires,

(a) "Annual Energy Consumption" means the energy (in kWh) consumed by a unit per annum. This can be calculated using the formula given below

$$\text{Annual Energy Consumption (AEC), kWh/year} = 24\text{-hour Energy Consumption} * 365;$$

Note: Twenty Four hour energy consumption shall be calculated by operating the unit for 6 hour.

(b) "Energy consumption" means energy used by the deep freezer over a specified period of time or for a specified operation as determined in accordance with this standard stated, in kilowatt hour;

(c) "Family of models" means the range of models of a particular brand, to which a single set of test reports is acceptable and valid subject to the condition that each of the models has the same performance specifications and where each of the models has the same relevant physical characteristics, annual energy consumption, star rating and other performance characteristics;

(d) "Food Freezer" means a thermally insulated cabinet which is intended for storing of frozen food for storage application when the food is brought in at same or lower temperature than -18 °C;

(e) "Glass top Chest freezers" means the range of top access type deep freezer models, which have a hard glass door (sliding, hinged and curved) enabling the customers to view the products without opening the door;

(f) "Hard top Chest freezers" means the range of top access type deep freezer models, which have an opaque door, which is generally same as the material of the body;

(g) "Label Period" means the label validity period of the energy consumption standards provided under the star rating plan as specified in the schedule;

(h) "Star Rating" means the number of stars displayed on the energy label including.-

(i) The available stars are between a minimum of one and a maximum of five shown in one-star interval.

(ii) The star rating is calculated from the Star Rating Band; and

(iii) The Star Rating determination shall vary for different models based on the storage volume.

(i) "Star Rating Band" means the range of annual energy consumption (kWh/Year) which is arrived at by calculations and is used for determining the number of stars to be displayed on the energy label;

(j) "Storage Volume (V), in liters" means the total volume contained within interior walls of the freezer for storage of food, which remains after deduction of the volume of components and spaces recognised as unusable for the storage of food (considering maximum storage limit line);

(k) "Top Access type Deep Freezer" means a food freezer in which the storage compartment is accessible from the top;

3. Star level or star rating plan.— (1) The star level or star rating of deep freezers shall be determined by evaluating annual energy consumption which shall be obtained from star rating parameters K_{dc} (Constant Multiplier (kWh/litre/Year) and C_{dc} (Constant Fixed Allowance (kWh/Year)). Further K_{dc} and C_{dc} shall be obtained from Table 3.1 or 3.2 depending on type of chest freezer i.e. Hard top or Glass top

S.No.	Type of Deep Freezer	Table to be used
1	Hard Top Chest Freezer	3.1
2	Glass Top Chest Freezer	3.2

The following equation shall be used to determine the Star Rating Bands for a particular model:

$$\text{Star Rating Band (SRB)} = K_{dc} * V + C_{dc}$$

Where,

K_{dc} = Constant Multiplier (kWh/Liter/Year)

V = Storage Volume (Liter)

C_{dc} = Constant Fixed Allowance (kWh/Year)

Table 3.1 Star Rating Band for Hard Top type Chest Freezers Valid from 1 st July, 2023 to 30 th June, 2025	
Star rating	Annual Energy Consumption (E_t) in kWh/year at 38 °C
1 Star *	$4.23*V + 126.65 \leq AEC < 5.07*V + 151.98$
2 Star **	$3.52*V + 105.54 \leq AEC < 4.23*V + 126.65$
3 Star ***	$2.82*V + 84.43 \leq AEC < 3.52*V + 105.54$
4 Star ****	$2.25*V + 67.55 \leq AEC < 2.82*V + 84.43$
5 Star *****	$AEC < 2.25*V + 67.55$

Table 3.2 Star Rating Band for Glass Top type Chest Freezers Valid from 1 st July, 2023 to 30 th June, 2025	
Star rating	Annual Energy Consumption (E_t) in kWh/year at 38 °C
1 Star *	$7.68*V + 511.17 \leq AEC < 9.21*V + 613.40$
2 Star **	$6.40*V + 425.97 \leq AEC < 7.68*V + 511.17$
3 Star ***	$5.12*V + 340.78 \leq AEC < 6.40*V + 425.97$
4 Star ****	$4.09*V + 272.62 \leq AEC < 5.12*V + 340.78$
5 Star *****	$AEC < 4.09*V + 272.62$

- (2) The star rating plan specified in the Tables shall be applicable for the type of deep freezer as specified in paragraph 1 of clause 3.
- (3) The star level chosen for the models shall be based on minimum and maximum limits of their relative annual energy consumption of each star level band specified in Tables 3.1 and 3.2.
- (4) There shall be no negative tolerance for the star rating levels and all tested equipment shall meet the minimum threshold for each star rating level, and the scope for manufacturing tolerance and other variations shall be accounted by the manufacturer when determining the star rating, keeping in view the following points for rounding, namely:-
 - (a) the values of storage volume shall be rounded and recorded to two decimal places;
 - (b) the values of annual energy consumption shall be rounded and recorded to two decimal places; and
 - (c) all the values shall be rounded off to respective significant figures, as per IS 2:1960 with all amendments.
- (5) The star level or star rating plan shall be reviewed after every two years or before the expiry of the table validity period whichever is earlier.

4 **Testing methods.** -(1) Every deep freezer shall be tested in accordance with the Indian Standard, IS 7872 with all amendments.

(2) The parameters for testing shall be pull down temperature, annual energy consumption, and storage volume.

(3) The methodology for calculating the annual energy consumption shall be in accordance with clause 11.2 of IS 7872 considering the following method from Indian standard, namely:-

(i) the freezer shall be operated at no load in an ambient temperature of 38°C for at least for four hour prior to commencement of the testing. After stable operating conditions (no load) have been attained the test period shall start. It shall be operated for 6 hrs and calculated for twenty-four hour duration. During this period the average temperature should be below -18°C.

(ii) the energy consumption shall be determined either by one test at the target temperatures or by interpolation from the results of two tests when target temperature is not achieved by one test. The difference between the two temperatures used for the interpolating test shall not exceed 4°C. The calculated energy consumption rate E_x is given by the following equation

$$E_x = E_1 + \left[(E_2 - E_1) \times \frac{(t_x - t_1)}{(t_2 - t_1)} \right]$$

Where,

E_x = calculated energy consumption rate of the appliance at the target temperature t_x ;

E_1 = measured energy consumption rate of the appliance for point 1;

E_2 = measured energy consumption rate of the appliance for point 2;

t_1 = measured compartment temperature for point 1 (warm point);

t_2 = measured compartment temperature for point 2 (cold point); and

t_x = -18°C.

(iii) The test procedure for pull-down test shall be in accordance with clause 11.1 of IS 7872.

(iv) The test for measurement of storage volume shall be in accordance with clause 8 of IS 7872.

(v) Safety requirements in respect of the following tests in accordance with IS/IEC 60335-2-89, namely.-

(i) leakage current;

(ii) creepage distance;

(iii) earthing connection;

(iv) high voltage;

(v) protection against electric shock; and

(vi) all testing conditions shall be in accordance with clause 9 of IS 7872 with all amendments.

5 **Tolerance.** -The tolerance limits for the no load pull down and storage volume of deep freezers shall be in accordance with IS 7872 with all amendments, that is-

(i) **Volume:** A tolerance of ± 3% is allowed.

(ii) **Annual Energy Consumption:** A tolerance of 10 % is allowed. Declared Annual Energy Consumption shall be less than or equal to 1.1 * Measured Annual Energy Consumption.

(iii) **Pull down:** A pull down time of maximum two hundred minutes is allowed.

6. **Test report.** – The result of test of each unit shall be reported in Annexure A.

Annexure A

(The results of tests shall be reported as per IS 7872 with all amendments with the relevant sections from the mentioned appendix applicable)

Form for reporting the result of test

Test report number:

Date of test:

1 **Details of the chest freezer**

(i) Appliance: Deep Freezer

(ii) Brand:

- (iii) Type: Hard top or Glass top
- (iv) Model name or number:
- (v) Rated voltage and frequency and no. of phase:
- (vi) Rated Storage Volume (Liters):
- (vii) Electricity Consumption per year (KWh/year):
- (viii) Year of manufacture:
- (ix) Serial number of the product:

2. Complete and attach a separate copy of the particulars below for each test type, as applicable:

- (i) Date of test:
- (ii) Test officer:
- (iii) Nature of Tests:
- (iv) Ambient test conditions:
- (v) Test Standard:

3. Test summary
Safety Tests

Parameters	Specified value (Rated value)	Measured value
Leakage Current test		
Creepage distance		
Earthing Connection		
High voltage		
Protection against electric shock		

Performance tests

(i) Energy consumption test (to be submitted for each of 3 units tested)

Parameters	Specified value (Rated value)	Measured Value Unit 1	Measured Value Unit 2	Measured Value Unit 3
Temperature of Freezer compartment 1 (Deg.C)				
Temperature of Freezer Compartment 2 (Deg.C)				
Temperature of Freezer Compartment if more than 2 (Deg.C)				
Average Temperature of Freezer Compartment				
Energy Meter Reading (Wh)				
Percentage running time (Hrs.)				
Energy Consumption rate per day (Wh/Day)				
Measured Annual Energy Consumption (kWh/year)				
Declared Annual Energy Consumption (kWh/year)				

(ii) The Pull-down temperature test (to be submitted for each of 3 unit tested):

Ambient test condition:

Observations and Results:

Parameters	Specified value (Rated value)	Measured Value Unit 1	Measured Value Unit 2	Measured Value Unit 3
Temperature of Freezer Compartment(F1)				
Temperature of Freezer Compartment(F2)				
Temperature Control/thermostat Setting				

Parameters	Specified value (Rated value)	Measured Value Unit 1	Measured Value Unit 2	Measured Value Unit 3
Pull down time (Minutes)				

(iii) The gross and storage volume test report (to be submitted for each of 3 unit tested):

Gross Volume (in Litre)			
Specified value (Rated value)	Measured value Unit 1	Measured value Unit 2	Measured value Unit 3

Storage Volume (in Litre)			
Specified value (Rated value)	Measured value Unit 1	Measured value Unit 2	Measured value Unit 3

[F. No 10/6/2022-EC]
AJAY TEWARI, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2023

का. आ. 482(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ख) और खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि,-

(क) सभी संशोधनों सहित आईएस 7872 के कार्य क्षेत्र में यथाविनिर्दिष्ट, टॉप एक्सेस प्रकार के डीप फ्रीजर, जिनका हार्ड टॉप और ग्लास टॉप (स्लाइडिंग, हिंज्ड और कर्व्ड) दोनों के साथ, 1000 लीटर तक स्टोरेज वॉल्यूम हो और उनका रेटेड वोल्टेज सिंगल फेज के लिए 250 वी एसी 50 हर्ट्ज और थ्री फेज एसी के लिए 415 वी एसी 50 हर्ट्ज से अधिक नहीं हो; और

(ख) निदेश देती है कि भारत में विनिर्मित या बेचे या खरीदे या बिक्री के लिए आयात किए जा रहे ऐसे किसी भी साधित्र या साधित्र की श्रेणी के लेबल पर विशिष्टियां भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डीप फ्रीजर्स के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और पद्धति) विनियम, 2023 में विनिर्दिष्ट पद्धति से प्रदर्शित किए जाएंगे।

[फा. सं. 10/6/2022-ईसी]
अजय तिवारी, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2023

S.O. 482(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies that the,-

(a) deep freezers of top access type having a storage volume up to and including 1000 liters, with both hard top and glass top (sliding, hinged and curved) and their rated voltage not exceeding 250 V ac 50 Hz for single phase and 415 V ac 50 Hz for three phase ac, as specified under the scope of IS 7872 with all amendments; and

(b) direct that any such appliance or class of appliance being manufactured or sold or purchased or imported for sale in India shall display particulars on labels in such manner as specified in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Deep Freezers) Regulations, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part -II, Section 3, sub-section (ii).

[F. No. 10/6/2022-EC]
AJAY TEWARI, Addl. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022023-243321
CG-DL-E-01022023-243321

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 2023/माघ 11, 1944

No. 62]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 2023/MAGHA 11, 1944

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2023

सं. बीईई/एसएंडएल/डीप फ्रीजर/128/2022-23.—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित प्रारूप विनियम अर्थात् ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डीप फ्रीजरो के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और पद्धति) विनियम, 2022 को अधिसूचना सं. बीईई/एस एंड एल/डीप फ्रीजर/128/2022-23 द्वारा प्रकाशित किया गया था और संभावित रूप से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त प्रारूप विनियम की प्रतियां जनता को 29 जून, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और पूर्वोक्त अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियम के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए हैं;

और इस संबंध में प्राप्त सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अब, इसलिए, ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (ढ) और धारा 14 के खंड (घ) के साथ पठित धारा 58 की उप-धारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डीप फ्रीजर के लेबलों पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;

(ख) "डीप फ्रीजर" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (ख) के अधीन अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट साधित्र अभिप्रेत है। उत्पाद श्रेणी में हार्ड टॉप और ग्लास टॉप प्रकार के डीप फ्रीजर शामिल हैं;

(ग) "प्ररूप" से इन विनियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) "लेबल" से डीप फ्रीजर पर चस्पा की गई या इस पर प्रदर्शित होने वाली कोई लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुद्रांकित या ग्राफिक सामग्री अभिप्रेत है;

(ङ) "लेबल अवधि" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानकों की विधिमान्य अवधि अभिप्रेत है:

परंतु, यदि लेबल विधिमान्यता अवधि की समाप्ति समय-सीमा तक, अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन नए ऊर्जा खपत मानकों को अधिसूचित नहीं किया जाता है, विद्यमान मानकों को तब तक विधिमान्य समझा जाएगा जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा उनके लिए नए मान अधिसूचित नहीं किए जाते हैं;

(च) "अनुज्ञापत्रधारी" से ऐसा व्यक्ति या अभिकरण अभिप्रेत है, जिसे विनियम 7 के अधीन लेबल चस्पा करने की अनुमति दी गई है;

(छ) "अनुसूची" से इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ज) "स्टार रेटिंग या स्टार लेवल" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित वार्षिक ऊर्जा खपत पर आधारित डीप फ्रीजर के लेबल पर प्रदर्शित ऊर्जा दक्षता का ग्रेड अभिप्रेत है; और

(झ) किसी डीप फ्रीजर के संबंध में, "व्यापारी या विक्रेता", से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे डीप फ्रीजर का विक्रय या वितरण करता है और इसमें दुकानदार, व्यापारी, विनिर्माता और ऐसे अनुज्ञापत्रधारी सम्मिलित हैं जिन्हें ऐसे डीप फ्रीजर पर लेबल लगाने की अनुमति दी गई है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं।

3. लेबल पर प्रदर्शित किए जाने वाली विशिष्टियां- (1) प्रत्येक डीप फ्रीजर पर, उसके लेबल पर निम्नलिखित विशिष्टियां प्रदर्शित की जाएंगी, अर्थात्:-

क) स्टार लेवल;

ख) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का प्रतीक चिह्न (लोगो);

ग) साधित्र का नाम;

घ) विनिर्माता या आयातक और ब्रांड का नाम;

ङ) मॉडल और विनिर्माण या आयात का वर्ष;

च) डीप फ्रीजर का प्रकार (हार्ड टॉप अथवा ग्लास टॉप चेस्ट फ्रीजर);

छ) भंडारण परिमाण;

- ज) विद्युत खपत (किलोवाट-घंटा में यूनिट प्रति वर्ष);
 झ) विशिष्ट श्रृंखला कोड; और
 ज) लेबल अवधि;

(2) लेबल का डिजाइन, रंग, आकार और विषय-वस्तु इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. लेबलों को प्रदर्शित करने की समय सीमा - (1) स्वैच्छिक से अनिवार्य व्यवस्था तक पारगमन - इन विनियमों के लागू होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर प्रत्येक डीप फ्रीजर पर विनियम 3 में विनिर्दिष्ट सभी विशिष्टियों से युक्त एक लेबल प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) **अनिवार्य ऊर्जा खपत मानकों का पुनरीक्षण-** अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पुनरीक्षण ऊर्जा खपत मानकों के प्रारंभ होने पर, प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी या व्यापारी या विक्रेता-

- (क) पिछले ऊर्जा खपत मानकों वाले डीप फ्रीजर का उत्पादन नहीं करेगा;
 (ख) पुनरीक्षित ऊर्जा खपत मानकों के साथ सिंक्रनाइज़ करते हुए पुनरीक्षित ऊर्जा खपत मानक के साथ पुनरीक्षित स्टार स्तर और लेबल अवधि और डीप फ्रीजर का विनिर्माण वर्ष प्रदर्शित किया जाएगा;
 (ग) व्यवहारियों, खुदरा विक्रेताओं की जागरूकता, उनकी शिक्षा के साथ-साथ उपभोक्ताओं की शिक्षा के लिए आवश्यक प्रचार सहित प्रारंभिक कदम सुनियोजित हों और कार्रवाई तीन मास पहले की जाए।

5. लेबल प्रदर्शित करने की रीति - (1) डीप फ्रीजर पर एक लेबल लगाया जाएगा जिसे विक्रय स्थल पर प्रदर्शित किया जाएगा और ऐसा लेबल डीप फ्रीजर पर निम्नलिखित रीति से चस्पा किया जाएगा, अर्थात्: -

- (i) लेबल को प्रत्येक साधित्र के सामने की ओर ऊपरी दाएं हिस्से पर दृढ़ता से चस्पा किया जाएगा।
 (ii) लेबल स्वयं चिपकने वाली सामग्री का होना चाहिए। अनुसूची में अपेक्षित अंकन सुपाठ्य, अमिट और चिरस्थायी होने चाहिए।

(2) डिस्प्ले रहित डीप फ्रीजर के लिए, लेबल को पैकिंग के बाहरी हिस्से पर चस्पा किया जाए और बिक्री के लिए रखे जाने पर लेबल को यूनिट के साथ संलग्न किया जाए।

6. लेबल प्रदर्शित करने की अनुमति - (1) ब्यूरो की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना डीप फ्रीजर पर कोई स्टार लेबल चस्पा नहीं किया जाएगा।

(2) कंपनी रजिस्ट्रीकरण - उप-विनियम (1) के अधीन ब्यूरो की अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन प्ररूप I में यथाविनिर्दिष्ट प्रत्येक ब्रांड के लिए अलग से भुगतान के किसी भी स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय एक लाख रूपए के लेबल प्रतिभूति जमा के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) मॉडल रजिस्ट्रीकरण- उप-विनियम (2) के अधीन अनुज्ञापत्रधारी के प्रत्येक आवेदन के साथ-

- (क) भुगतान के किसी भी स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय प्रति मॉडल दो हजार रुपये का आवेदन फीस जमा की जाएगी;
 (ख) प्ररूप II में विनिर्दिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे।

7. अनुमति प्रदान करना (1) विनियम 6 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर और यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि इसमें सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाता है, ब्यूरो, घरेलू उपकरणों में स्टार लेबलिंग का प्रसार, दिशा (मानक और लेबलिंग के संबंध में ब्यूरो की कार्य नियमावली) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, विनियम 8 में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन, -

- (क) इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्ररूप III में ब्रांड को रजिस्ट्रीकृत कर सकता है; या
 (ख) इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्ररूप IV में डीप फ्रीजर पर लेबल लगाने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

(2) ब्यूरो, प्ररूप V में एक रजिस्टर बनाए रखेगा और उसमें अनुज्ञापत्रधारी का नाम दर्ज करेगा।

(3) उप-विनियम (1) के अधीन इस प्रकार प्रदान की गई अनुमति ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगी जब तक अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा यथाअधिसूचित ऊर्जा खपत मानक द्वारा विनिर्दिष्ट स्टार लेवल प्रभावी रहते हैं।

(4) स्टार रेटिंग योजना के पुनरीक्षण की दशा में, अनुज्ञापत्रधारी द्वारा अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए आवेदन इसकी समाप्ति के एक मास के भीतर किया जाएगा और इसके साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक मोड में देय एक हजार रुपए की फीस जमा की जाएगी।

परंतु, स्टार रेटिंग योजना के विस्तार की दशा में, एक हजार रुपये के उक्त नवीनीकरण फीस से छूट दी जाएगी।

(5) ऊर्जा खपत मानक के लिए विधिमान्यता की प्रभावी अवधि के भीतर नवीकृत न किए गए आवेदन को उस समय तक समाप्त माना जाएगा जब तक कि नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता और ब्यूरो द्वारा इसे सफलतापूर्वक अनुमोदित नहीं किया जाता है।

(6) उप-विनियम (4) के अधीन नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर और यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, ब्यूरो, ऐसी प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर, प्ररूप IV में अनुमति को नवीकृत कर सकता है।

(7) ऐसा अनुज्ञापत्रधारी, जो उस तारीख, जिससे पुनरीक्षित स्टार लेवल प्रभावी होता है, से डीप फ्रीजर के विद्यमान मॉडल पर लेबल चस्पा करना जारी रखने की अनुमति चाहता है, प्ररूप VI में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा।

(8) यदि डीप फ्रीजर के नए मॉडल को पुनरीक्षित स्टार लेवल के साथ समकालीन बनाते हुए आरम्भ करने की योजना है, तो अनुज्ञापत्रधारी को लेबल चस्पा करने के लिए नए सिरे से अनुमति प्राप्त करनी होगी, और ऐसी अनुमति के लिए आवेदन, पुनरीक्षित स्टार लेवल के प्रभावी होने से छह मास पहले किया जाएगा।

8. लेबल पर विशिष्टियां प्रदर्शित करने के निबंधन और शर्तें- प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, व्यापारी और विक्रेता,-

- क) अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित डीप फ्रीजर के लिए ऊर्जा खपत मानकों का अनुपालन करेगा;
- ख) डीप फ्रीजर के केवल ऐसे मॉडल पर लेबल चस्पा करेगा जिसके लिए अनुमति दी गई है;
- ग) डीप फ्रीजर पर लेबल अनुज्ञापत्रधारी की लागत पर चस्पा करेगा;
- घ) यह सुनिश्चित करेगा कि डीप फ्रीजर के लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेवल हर समय बनाए रखा जाता है;
- ङ) विनियम 9 में यथाविनिर्दिष्ट लेबल फीस का भुगतान करेगा;
- च) ब्यूरो को, वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले मास के भीतर लेबलीकृत उपस्करों के विनिर्माण और प्रत्येक तिमाही के लिए देय प्रोद्भूत लेबलिंग फीस के ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए एक विवरण प्रस्तुत करेगा;
- छ) प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक अपने लेबलीकृत उत्पादों को बेचने के लिए नियुक्त अधिकृत वितरकों, व्यवहारियों, खुदरा विक्रेताओं, विक्रेताओं की एक अद्यतन सूची ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा;
- ज) ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करेगा जिन्हें ब्यूरो विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिनमें घरेलू साधित्रों में स्टार लेबलिंग का प्रसार, दिशा (मानक और लेबलिंग के संबंध में ब्यूरो की कार्य नियमावली) में यथानिहित निबंधन और शर्तें भी शामिल होंगे।

9. लेबल फीस - (1) प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी डीप फ्रीजर पर चस्पा किए गए प्रत्येक लेबल के लिए ब्यूरो को 5/- रुपये (पांच रुपये मात्र) के लेबल फीस का भुगतान करेगा;

(2) उप-विनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल फीस का भुगतान वार्षिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर किया जाएगा;

परंतु इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का भुगतान करने में विफल रहने पर, ब्यूरो, विनियम 6 के उप-विनियम (3) के खंड (ख) के अधीन संदत्त लेबल प्रतिभूति जमा से प्रति वर्ष दस प्रतिशत की दर से ब्याज सहित देय राशि की वसूली कर सकता है और यदि इसे जमा करने की अंतिम तारीख के एक वर्ष के भीतर सम्पूर्ण लेबलिंग फीस की वसूली नहीं की जाती है, तो ब्यूरो अनुज्ञापत्रधारी को प्रदान की गई लेबल की अनुमति को निरस्त कर सकता है और राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में उसका नाम चूककर्ता के रूप में प्रकाशित कर सकता है।

10. लेबल प्रतिभूति जमाराशि की वापसी - विनियम 9 के उप-विनियम (2) के उपबंधों के अधीन, डीप फ्रीजर का विनिर्माण बंद करने पर अनुज्ञापत्रधारी लेबल प्रतिभूति जमाराशि की वापसी का हकदार होगा।

11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन - (1) ब्यूरो या इसकी अभिहित व्यवहारी, या तो *स्वप्रेरणा* से, या उसके द्वारा प्राप्त शिकायत पर, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन कर सकती है कि डीप फ्रीजर, स्टार लेबल और इसके लेबल पर प्रदर्शित अन्य विशिष्टियों के अनुरूप है और कि यह अनुमति के अन्य निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करता है।

(2) सत्यापन और आपत्ति (चैलेंज) परीक्षण के उद्देश्य से वार्षिक ऊर्जा खपत, पुल डाउन टाइम और भंडारण परिमाण परीक्षण सहित सभी परीक्षण किए जाएंगे।

(3) सत्यापन के प्रयोजनार्थ, ब्यूरो या इसकी अभिहित व्यवहारी द्वारा विनिर्माण सुविधा, गोदाम या खुदरा आउटलेट, जो वह उचित समझे, से यादृच्छिक रूप से नमूने लिए जाएंगे।

(4) जहां, उप-विनियम (1) के अधीन प्राप्त शिकायत पर, ब्यूरो को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्रत्यायित किसी स्वतंत्र प्रयोगशाला में डीप फ्रीजर का आपत्ति (चैलेंज) परीक्षण द्वारा सत्यापन कराना अपेक्षित है-

(क) ब्यूरो ऐसे परीक्षण के संचालन के लिए अनुज्ञापत्रधारी को नोटिस जारी करेगा और शिकायतकर्ता को नमूना लागत, परीक्षण, परिवहन से संबंधित ऐसे व्यय और अन्य प्रासंगिक व्यय राशि, जो ब्यूरो द्वारा अवधारित किए जाएं, को ब्यूरो के पास जमा कराने के लिए कहा जाएगा।

(ख) यदि आपत्ति (चैलेंज) परीक्षण के अधीन लिया गया नमूना विफल हो जाता है, तो अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ब्यूरो को यथाविनिर्दिष्ट सभी व्यय राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी और ब्यूरो, शिकायतकर्ता को उपरोक्त व्यय राशि वापस कर देगा; और

(ग) जहां साधित्र आपत्ति (चैलेंज) परीक्षण में सफल रहता है, तो शिकायतकर्ता द्वारा जमा की गई व्यय राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

(5) जहां, उप-विनियम (1) के अधीन प्राप्त शिकायत पर, यदि अनुज्ञापत्रधारी ऐसे समय के भीतर उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट ऐसी व्यय राशि को जमा करने में विफल रहता है, तो ब्यूरो-

(क) उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट डीप फ्रीजर का आपत्ति (चैलेंज) परीक्षण द्वारा सत्यापन जारी रखेगा; और

(ख) विनियम 6 के अधीन प्राप्त आवेदन की प्रक्रिया को तब तक स्थगित रखा जा सकता है जब तक कि ऐसी व्यय राशि जमा नहीं कराई जाती है।

(6) जहां, परीक्षण के लिए प्रयुक्त डीप फ्रीजर का कोई नमूना *स्व-प्रेरित* परीक्षण या आपत्ति (चैलेंज) परीक्षण के दौरान परीक्षण में विफल रहता है, ब्यूरो अनुज्ञापत्रधारी को एक और अवसर प्रदान करेगा और पहले परीक्षण में प्रयुक्त डीप फ्रीजर की दोगुनी संख्या के साथ अनुज्ञापत्रधारी की लागत पर राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्रत्यायित एक स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशाला, जो उस प्रयोगशाला से भिन्न होगी जहां पहली बार परीक्षण किया गया था, में दूसरा परीक्षण करेगा।

(7) जहां दूसरा परीक्षण असफल हो जाता है, ब्यूरो -

(क) राज्य द्वारा अभिहित सभी व्यवहारियों को सूचित करते हुए फॉर्म VII में अनुज्ञापत्रधारी को निदेश देगा कि अनुज्ञापत्रधारी, दो मास की अवधि के भीतर, , -

- (i) डीप फ्रीजर के लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेवल में सुधार करेगा या परीक्षण के दौरान पाए गए दोषों और कमियों को दूर करेगा;
- (ii) ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस लेगा; और
- (iii) विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विशिष्टियों में परिवर्तन करेगा।
- (ख) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रीति, जो वह उचित समझे, में दो मास के भीतर, किसी भी अनुज्ञापत्रधारी का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल नाम या मॉडल नंबर, प्रतीक चिह्न (लोगो) और अन्य विनिर्देश प्रकाशित करेगा;
- (ग) अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के विरुद्ध न्यायनिर्णयन कार्यवाही शुरू करने के लिए संबंधित राज्य अभिहित व्यवहारी को सूचित करेगा।
- (8) अनुज्ञापत्रधारी, उप-विनियम (6) में विनिर्दिष्ट दो मास की अवधि के समापन के दस दिन के भीतर, -
- (क) निदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में ब्यूरो को प्ररूप VIII में अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा; और
- (ख) यदि खंड (क) में विनिर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होती है या किसी निदेश का अनुपालन किए बिना प्राप्त होती है, तो इसे जारी किए गए निदेश का अनअनुपालन माना जाएगा और ब्यूरो द्वारा इस आशय का आदेश पारित किया जाएगा।
- (9) ब्यूरो उप-विनियम (7) के खंड (क) में निदेशों के अनुपालन रिपोर्ट और खंड (ख) में पारित आदेशों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ सभी राज्य अभिहित व्यवहारियों को धारा 17 के अधीन कार्रवाई करने और उक्त उप-विनियम के खंड (ख) के अधीन पारित आदेश के प्रवर्तन के प्रयोजन से प्रेषित करेगा।
- (10) जहां अनुज्ञापत्रधारी उप-विनियम (6) के अधीन ब्यूरो द्वारा जारी निदेशों का पालन करने में विफल रहता है, ब्यूरो, सभी राज्य अभिहित व्यवहारियों को सूचना देते हुए, -
- (क) विनियम 7 के उप-विनियम (1) के अधीन अनुज्ञापत्रधारी को दी गई अनुमति को वापस लेगा;
- (ख) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खंड (ग) के अधीन विचार करने और कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय सरकार को, धारा 14 के खंड (क) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानकों की अनुरूपता की अनुज्ञापत्रधारी द्वारा विफलता के समर्थन में परीक्षण रिपोर्ट, उप-विनियम (7) के खंड (क) में निर्दिष्ट ब्यूरो के निदेश के साथ एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा।
- (ग) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रीति, जो वह उचित समझे, में दो मास के भीतर, किसी भी अनुज्ञापत्रधारी का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल नाम या मॉडल नंबर, प्रतीक चिह्न (लोगो) और अन्य विनिर्देशन प्रकाशित करेगा;
- (घ) संबंधित राज्य अभिहित व्यवहारियों को अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के विरुद्ध आगे की न्यायिक कार्यवाही शुरू करने के लिए सूचित करेगा।

12. अनुमति निरस्त करना – ब्यूरो, विनियम 7 के अधीन प्रदान की गई अनुमति को निरस्त कर सकेगा, यदि अनुज्ञापत्रधारी,-

- (क) विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निबंधन और शर्त का पालन करने में विफल रहता है;
- (ख) विनियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का भुगतान करने में विफल रहता है;

(ग) विनियम 11 के अधीन जारी निदेशों का पालन करने में विफल रहता है; और

(घ) परंतु कोई भी अनुज्ञा अनुज्ञापत्रधारी को सुनवाई का अवसर दिए बिना रद्द नहीं की जाएगी।

अभय बाकरे, महानिदेशक

[विज्ञापन III/4/असा./589/2022-23]

अनुसूची


[विनियम 3 का उप-विनियम (2) देखें]

डीप फ्रीजर के लेबल पर प्रदर्शित किए जाने वाले विशिष्टियां

1. लेबल का डिजाइन

(i) आयाम:

(क) प्रत्येक साधित्र के सामने की ओर ऊपरी दाहिने हिस्से पर चस्पा किए जाने वाले लेबल का आयाम:




(ii) लेबल के लिए रंग की स्कीम:

गहरा नीला (नेवी ब्लू) - सी: 97, एम: 95, वाई: 6, के: 1

हरा - सी: 81, एम: 10, वाई: 90, के: 1

टिप्पण: ब्यूरो के प्रतीक चिह्न (लोगो) का निचला हिस्सा और स्टार फिलर केवल हरे रंग में और सभी फोंट और ब्यूरो के प्रतीक चिह्न (लोगो) का शीर्ष गहरे नीले रंग में



(iii) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के प्रतीक चिह्न (लोगो) की रंग स्कीम:

नीला -

ह्यू (एच) -239⁰ सेचुरेशन (एस): 64% ब्राइटनेस (बी): 59%

ल्यूमेनेंस या लाइटनेस (एल): 28, क्रोमेटिक कम्पोनेंट - ए: 24 बी: 54

लाल (आर): 54 हरा (जी): 55 नीला (बी): 151

आश्याम (सी): 97% गहरा गुलाबी (एम): 95% पीला (वाई): 6% काला (के): 1%

वेब रंग कोड - #363797

हरा -

ह्यू (एच) -150⁰ सेचुरेशन (एस): 10% ब्राइटनेस (बी): 67%


ल्यूमेनेंस या लाइटनेस (एल): 61, क्रोमेटिक कम्पोनेंट -ए:-53 बी:32

लाल (आर): 0 हरा (जी): 170 नीला (बी): 87

आश्याम (सी): 81% गहरा गुलाबी (एम): 10% पीला (वाई): 90% काला (के): 1%

वेब रंग कोड - #00एए56;

(iv) डीप फ्रीजर के लिए मुद्रित लेबल का सम्पूर्ण प्रतिरूप:



2. लेबल की सामग्री

लेबल स्वयं चिपकने वाला और ऊपर दिए गए आयामों के अनुसार मुद्रित होना चाहिए। अनुसूची द्वारा अपेक्षित अंकन सुपाठ्य, अमिट और चिरस्थायी होने चाहिए।

प्ररूप I

[विनियम 6 का उप-विनियम (2) देखें]

(कंपनी के लेटर हेड पर प्रिंट किया जाए)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डीप फ्रीजर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2023 के अधीन डीप फ्रीजर के ब्रांड के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन, सेक्टर-I, आर के पुरम,

नई दिल्ली – 110066 भारत।

1. मैं/हम, डीप फ्रीजर का/के विनिर्माता हूँ/हैं, जो (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम) की शैली के अधीन (सम्पूर्ण व्यावसायिक पता) में कारोबार कर रहा/रहे हूँ/हैं, एतद्वारा डीप फ्रीजर पर, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(डीप फ्रीजर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2023 में ब्यूरो द्वारा यथाविनिर्दिष्ट लेबल लगाने की अनुमति के लिए आवेदन करता हूँ / करते हैं।

2. उपस्कर, कंपनी, विनिर्माण सुविधा और भुगतान के संबंध में जानकारी के ब्यौरे उपाबंध क-1 में दिया गया है। फर्मों या सोसायटी रजिस्ट्रार / उद्योग निदेशक (लघु इकाइयों के मामले में) द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र की एक फोटोकॉपी या फर्म और उसके विनिर्माण परिसर के नाम को प्रमाणित करने वाले इसी तरह के अन्य दस्तावेज संलग्न हैं।

(क) आवेदक/अधिकृत व्यक्ति: (नाम और पदनाम) कंपनी/फर्म आदि की ओर से इस आवेदन को करने के लिए अधिकृत है और इस आवेदन के साथ दी गई जानकारी की यथार्थता के लिए जिम्मेदार होगा।

(ख) संपर्क व्यक्ति: (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय के लिए अधिकृत संपर्क व्यक्ति है।

(ग) मैं/हम उपरोक्त (क) या (ख) में परिभाषित अधिकृत व्यक्तियों में किसी भी परिवर्तन के बारे में ब्यूरो को सूचित करने का वचन देता हूँ / देते हैं।

3. उक्त उपस्कर के उत्पादन और बिक्री के आंकड़े और मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और अनुमान के अनुसार उसका मूल्य निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन	बिक्री	उपस्कर का अधिकतम खुदरा मूल्य (रुपए)
पिछले वर्ष से तक			
चालू वर्ष से तक			
(अनुमान)			

4. एक लाख रुपये या पच्चीस हजार रुपये की लेबल प्रतिभूति जमा राशि का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा तारीख को कर दिया गया है। (केवल लेबल प्रतिभूत जमा करते समय ही भरा जाना है)।

5. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट लेबलिंग फीस का भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

6. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के मामले में आवश्यक सहायता/सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

7. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और आपत्ति (चैलेंज) परीक्षण के लिए नमूने के चयन के लिए अधिकृत करते हूँ/हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

8. मैं/हम वचन देता हूँ / देते हैं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है, और यदि प्रदान की गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है; आवेदन को तत्काल अस्वीकार किया जा सकता है।

तारीख

हस्ताक्षर

नाम

पदनामके लिए और उसकी ओर से

(फर्म का नाम) / फर्म की मुहर

उपाबंध क-1

[प्ररूप I का पैरा 2 देखें]

1. कंपनी के ब्यौरे

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
दूरभाष संख्या	
फ़ैक्स संख्या	
ई-मेल	
वेबसाइट	
<p>रजिस्ट्रीकरण का समर्थन करने के लिए संलग्नक:</p> <p>(क) विनिर्माण या व्यावसायिक परिसर के नाम और पते को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़</p> <p>(ख) व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्क) का प्रमाणपत्र</p> <p>(ग) एसएसआई प्रमाणपत्र, यदि लागू हो</p> <p>(घ) क्वालिटी प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र</p> <p>(ङ) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पत्र</p> <p>(च) बीआईएस का लाइसेंस, यदि लागू हो</p> <p>(छ) भुगतान ऑनलाइन किए जाने की स्थिति में भुगतान की रसीद</p>	हां / नहीं

2. विनिर्माण परिसर के ब्यौरे (एक से अधिक विनिर्माण सुविधाओं के मामले में एक अलग सारणी प्रदान की जाए)

विनिर्माण सुविधा का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य / देश	
दूरभाष संख्या	
फ़ैक्स संख्या	
ई-मेल	
वेबसाइट	
कोई अन्य ब्यौरे (यदि कोई हो)	

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

..... के लिए और उसकी ओर से

(फर्म का नाम) और फर्म की मुहर

प्ररूप II

[विनियम 6 का उप-विनियम (3) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डीप फ्रीजर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2023 के अधीन डीप फ्रीजर पर लेबल लगाने की अनुमति के लिए आवेदन

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन, सेक्टर-I, आर के पुरम,

नई दिल्ली - 110066 भारत।

1. मैं/हम ब्रांड नाम (ब्रांड का नाम) के अधीन डीप फ्रीजर का रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता हूँ/हैं और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड है
2. उपरोक्त उपस्कर (कंपनी का नाम) द्वारा ब्रांड नाम के अधीन विनिर्मित या आयात किया जाता है और (कारखाने का नाम और पता) में विनिर्मित किया जाता है।
3. उपस्कर, परीक्षण उत्पादों के प्रमाणीकरण, लेबल और भुगतान के संबंध में जानकारी का विवरण उपाबंध क-II में दिया गया है और सुसंगत फोटोकापी संलग्न हैं।
4. मानकों के प्रति अनुरूपता: मैं/हम (उपस्कर का नाम) के लिए (अधिसूचना का शीर्षक) की अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट भारतीय मानक/ क्वालिटी प्रणाली के संबंध में अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानक / भारतीय मानक के अनुसरण में अन्य मानक / अन्य (मानक का नाम और संख्या) का अनुपालन करता / करते हूँ / हैं।

मैंने/हमने, उपस्कर की क्वालिटी साथ-साथ का.आ. में यथाविनिर्दिष्ट सुसंगत भारतीय मानक/ अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आईएसओ)/अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (आईईसी) मानकों के दायरे में अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए _____ (नाम और पता, जहां प्रयोगशाला स्थित है) अपनी आंतरिक प्रयोगशाला या _____ (प्रयोगशाला का नाम और पता) स्वतंत्र प्रयोगशाला, जो राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) या एशिया प्रशांत प्रत्यायन सहयोग (एपीएसी) के साथ एमआरए वाले किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रत्यायन-प्राप्त निकाय और/या अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग (आईएलएसी) द्वारा प्रत्यायित है, में परीक्षण की व्यवस्था की है।

प्रयोगशाला के ब्यौरे:

(क) प्रत्यायन बोर्ड:

(ख) प्रत्यायन की स्थिति:

(i) प्रयोगशाला के लिए: (हां/नहीं)

(ii) परीक्षण मानकों के लिए: (सुसंगत उत्पाद मानक का नाम/संख्या का उल्लेख करें)

(iii) सुसंगत परीक्षण विधि के लिए (परीक्षण के नाम का उल्लेख करें)

5. (क) दो हजार रुपये के आवेदन फीस का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा तारीख को कर दिया गया है।
6. मैं/हम ब्यूरो द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रति लेबल पांच रुपये की लेबलिंग फीस का भुगतान करने के लिए सहमत हूँ / हैं।
7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के मामले में आवश्यक सहायता/सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत हूँ / हैं।

8. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और आपत्ति (चैलेंज) परीक्षण के लिए नमूने के चयन के लिए अधिकृत करते हूँ/हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
9. मैं/हम वचन देता हूँ / देते हैं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है, और यदि प्रदान की गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है; आवेदन को तत्काल अस्वीकार किया जा सकता है।

तारीख

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम के लिए और उसकी ओर से

(फर्म का नाम) / फर्म की मुहर

उपाबंध क- II

[प्ररूप II का पैरा 3 देखें]

जानकारी के ब्यौरे

1. उत्पाद / उपस्कर ब्यौरे

1.1 सामान्य (यथालागू विवरण भरें)

उपस्कर और प्रकार
ब्रांड का नाम
मॉडल का नाम और संख्या
डीप फ्रीजर का प्रकार (हार्ड टॉप/ग्लास टॉप)
रेटेड वोल्टेज या वोल्टेज रेंज / आवृत्ति / फेज की संख्या:
रेटेड बिजली खपत प्रति वर्ष (किलोवाट-घंटा प्रति वर्ष)
रेटेड भंडारण परिमाण (लीटर)
स्टार रेटिंग

1.2 तकनीकी ब्यौरे (यथालागू विवरण भरें)

क) परीक्षित मान:

क्रम संख्या	मापे गए मान	रेटेड मान
1.	मापी गई वार्षिक ऊर्जा खपत (किलोवाट-घंटा/वर्ष)	रेटेड वार्षिक ऊर्जा खपत (किलोवाट-घंटा/वर्ष)
2.	मापा गया सकल परिमाण (लीटर)	रेटेड सकल परिमाण (लीटर)
	मापा गया भंडारण परिमाण (लीटर)	रेटेड भंडारण परिमाण (लीटर)
3.	मापा गया पुल डाउन टाइम (मिनट)	रेटेड पुल डाउन टाइम (मिनट)

(*उक्त ब्यौरे मॉडल के 2 नमूनों/यूनिटों के लिए प्रस्तुत किए जाएं)

2. परीक्षण प्रयोगशाला के ब्यौरे

परीक्षण प्रयोगशाला का नाम	
प्रत्यायन की स्थिति (i) प्रयोगशाला के लिए (ii) संगत मानकों के लिए (प्रत्यायन प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	हां / नहीं
प्रत्यायन की विधिमान्यता (समर्थक दस्तावेज संलग्न करें)	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
दूरभाष संख्या	
फ़ैक्स संख्या	
ई-मेल	
वेबसाइट	


3. लेबलिंग संबंधी जानकारी

प्रारंभ होने की तारीख	
बीईई के लिए आवेदन किए गए लेबलों की संख्या पहले वर्ष के लिए - दूसरे वर्ष के लिए - तीसरे वर्ष के लिए -	
उत्पाद का क्रमांक (सीरियल नम्बर)	_____ से _____ तक

4. मॉडल के ब्यौरे:

मॉडल	मॉडल का नाम/मॉडल संख्या

5. डीप फ्रीजर पर चस्पा किए जाने वाले लेबल का प्रतिरूप नीचे दर्शाया गया है:



तारीख

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम के लिए और उसकी ओर से

(फर्म का नाम) /फर्म की मुहर

प्ररूप III

[विनियम 7 के उप-विनियम (1) का खंड (क) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डीप फ्रीजर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2023 के अधीन डीप फ्रीजर के ब्रांड के रजिस्ट्रीकरण की अनुमति

नई दिल्ली, तारीख.....

सेवा में

.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डीप फ्रीजर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों अनुसरण में, ब्यूरो, इस पत्र के उपाबंध क-III में उल्लिखित अनुमोदन के ब्यौरे के अनुसार, आपको अपने ब्रांड को रजिस्ट्रीकृत करने की अनुमति प्रदान करता है।
2. यह अनुमति निम्नलिखित के अधीन है-
 - (क) डीप फ्रीजर के लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेबल, अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित डीप फ्रीजर के लिए ऊर्जा खपत मानकों और पूर्वोक्त विनियमों में उपबंधित निबंधनों और शर्तों के अनुरूप होगा;
 - (ख) लेबल को केवल डीप फ्रीजर के ऐसे मॉडल पर मुद्रांकित किया जाएगा, जिसके लिए अनुमति दी गई है;
 - (ग) लेबल को उत्पाद डीप फ्रीजर पर चस्पा किया जाएगा और अनुज्ञापत्रधारी की लागत पर उत्पाद पैकेजिंग पर मुद्रित/चस्पा किया जाएगा;
 - (घ) अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करेगा कि डीप फ्रीजर पर प्रदर्शित स्टार लेबल हर समय बना रहे;
 - (ङ) अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट लेबल फीस का भुगतान करेगा;
 - (च) अनुज्ञापत्रधारी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले मास के भीतर ब्यूरो को एक ब्यौरा प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक तिमाही के लिए लेबलीकृत उपस्कर के उत्पादन और प्रोद्भूत लेबलिंग फीस का ब्यौरा होगा। ये ब्यौरे स्वचालित प्रणाली के माध्यम से भी ब्यूरो को प्रस्तुत किए जाएंगे;
 - (छ) अनुज्ञापत्रधारी, डीप फ्रीजर, जिसके लिए अनुमति दी गई है, के ऐसे अन्य ब्यौरे, जो ब्यूरो द्वारा अपेक्षित हो और जब भी अपेक्षित हों, उपलब्ध कराएगा।
3. ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन के बिना, अनुज्ञापत्रधारी विधिमान्यता अवधि के दौरान बाजार से रजिस्ट्रीकृत ब्रांड और डीप फ्रीजर को वापस नहीं लेगा।
4. ब्रांड के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड है और इसे अनुमोदित डिजाइन के अनुसार लेबल पर दर्शाया जाना चाहिए।
5. तारीख को इस पर हस्ताक्षर किए गए और मुहर लगाई गई।

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध क- III

[प्ररूप III का पैरा 1 देखें]

अनुमोदनों के ब्यौरे

1. कंपनी का ब्यौरे

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
दूरभाष संख्या	
फैक्स संख्या	
ई-मेल	
वेबसाइट	

2. रजिस्ट्रीकृत ब्रांड का नाम:
3. विशिष्ट श्रृंखला कोड:
4. अन्य ब्यौरे (यदि लागू हो):
तारीख.....

भवदीय,
(सचिव)
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप IV

[विनियम 7 के उप-विनियम (1) का खंड (ख) और विनियम 7 का उप-विनियम (6) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डीप फ्रीजर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2023 के अधीन डीप फ्रीजर पर लेबल चस्पा करने के लिए अनुमति/अनुमति का नवीकरण

नई दिल्ली, तारीख.....

सेवा में

.....
.....
.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डीप फ्रीजर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसार, ब्यूरो, इस पत्र के उपाबंध क-IV में विनिर्दिष्ट अनुमोदनों के ब्यौरे के अनुसार, आपको लेबल मुद्रांकित करने और प्रिंट करने या चस्पा करने की अनुमति प्रदान करता है।
2. यह अनुमति निम्नलिखित के अधीन है-
 - (क) डीप फ्रीजर के लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेवल, अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित डीप फ्रीजर के लिए ऊर्जा खपत मानकों और पूर्वोक्त विनियमों में उपबंधित निबंधनों और शर्तों के अनुरूप होगा;
 - (ख) लेबल को केवल डीप फ्रीजर के ऐसे मॉडल पर चस्पा किया जाएगा, जिसके लिए अनुमति दी गई है;
 - (ग) लेबल को डीप फ्रीजर पर अनुज्ञापत्रधारी की लागत पर चस्पा किया जाएगा;
 - (घ) अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करेगा कि डीप फ्रीजर पर प्रदर्शित स्टार लेवल हर समय बना रहे;
 - (ङ) अनुज्ञापत्रधारी, प्रति लेबल पांच रूपये की लेबल फीस का भुगतान करेगा;
 - (च) अनुज्ञापत्रधारी, वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले मास के भीतर, ब्यूरो को एक ब्यौरा प्रस्तुत करेगा जिसमें प्रत्येक तिमाही के लिए लेबलीकृत साधित्र के उत्पादन और प्रोद्भूत लेबलिंग फीस का ब्यौरा होगा। ये ब्यौरे स्वचालित प्रणाली के माध्यम से भी ब्यूरो को प्रस्तुत किए जाएंगे;
 - (छ) अनुज्ञापत्रधारी, डीप फ्रीजर, जिसके लिए अनुमति दी गई है, के ऐसे अन्य ब्यौरे, जो ब्यूरो द्वारा अपेक्षित हो और जब भी अपेक्षित हों, उपलब्ध कराएगा।
5. यह अनुमति से तक प्रभावी होगी और विनिर्दिष्टानुसार नवीकृत की जा सकती है। ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन के बिना, अनुज्ञापत्रधारी विधिमान्यता अवधि के दौरान बाजार से डीप फ्रीजर को वापस नहीं लेगा।
6. तारीख को इस पर हस्ताक्षर किए गए और मुहर लगाई गई।

भवदीय
(सचिव)
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध क- IV

[प्ररूप IV का पैरा 1 देखें]

अनुमोदनों के ब्यौरे

1. उपस्कर का विवरण

(क) ब्रांड:

(ख) मॉडल के ब्यौरे :

मॉडल	मॉडल का नाम	मॉडल संख्या

(ग) तकनीकी विनिर्देश:

क्रम संख्या	मापे गए मान	रेटेड मान
1	वार्षिक ऊर्जा खपत (किलोवाट-घंटा/वर्ष)	वार्षिक ऊर्जा खपत (किलोवाट-घंटा/वर्ष)
2	सकल परिमाण (लीटर)	सकल परिमाण (लीटर)
3	भंडारण परिमाण (लीटर)	भंडारण परिमाण (लीटर)
4	पुल डाउन टाइम (मिनट)	पुल डाउन टाइम (मिनट)


(उक्त ब्यौरे मॉडल के 2 नमूनों/यूनिटों के लिए प्रस्तुत किए जाएं)

2. लेबल के ब्यौरे

उपस्कर और प्रकार	
ब्रांड का नाम	
मॉडल का नाम और संख्या	
डीप फ्रीजर का प्रकार (हार्ड टॉप/ग्लास टॉप)	
रेटेड वोल्टेज / आवृत्ति / फेज की संख्या:	
रेटेड बिजली खपत प्रति वर्ष (किलोवाट-घंटा प्रति वर्ष)	
रेटेड भंडारण परिमाण (लीटर)	
स्टार रेटिंग	

3. लेबल का डिजाइन, आकार, रंग स्कीम, लेबल के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और ब्यूरो की विषय-वस्तु और ब्यूरो के प्रतीक चिह्न (लोगो) की रंग स्कीम, इस विनियम की अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट होगी।

4. डीप फ्रीजर पर चस्पा किए जाने वाले, ब्यूरो द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित, लेबल का प्रतिरूप नीचे दर्शाया गया है:



डीप फ्रीजर पर चस्पा किए जाने वाले लेबल में, इस पत्र में दिए गए विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड का उल्लेख किया जाना है।

तारीख

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप V

[विनियम 7 का उप-विनियम (2) देखें]

अनुज्ञापत्रधारी रजिस्टर

क्रम सं.	आवेदन संख्या और अनुमति की तारीख	अनुज्ञापत्रधारी का नाम और ब्यौरे (संपर्क व्यक्ति, पता, पिन कोड, राज्य, दूरभाष संख्या, फैक्स संख्या, ई-मेल, वेबसाइट)	उन उपकरणों के ब्यौरे जिनके लिए अनुमति दी गई है	स्टार लेवल और रेटेड बिजली खपत (किलोवाट-घंटा/वर्ष)	बीईई अनुमति संख्या और विशिष्ट लेबल श्रृंखला	विधिमान्यता अवधि, जिसके लिए अनुमति दी गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

लेबल प्रतिभूति जमा राशि	जिसके द्वारा लेबल प्रतिभूत जमा प्राप्त किया गया (इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (ब्यौरे): तारीख:)	आवेदन फीस, प्राप्त राशि के ब्यौरे (इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (ब्यौरे): तारीख:)
(8)	(9)	(10)

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत तक चस्पा किए गए लेबलों की संख्या	उत्पादन डाटा के सापेक्ष लेबलिंग फीस की राशि	लेबलिंग फीस, प्राप्त राशि के ब्यौरे (इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (ब्यौरे): तारीख :)	टिप्पणियां
(11)	(12)	(13)	(14)

प्ररूप VI

[विनियम 7 का उप-विनियम (7) देखें]

डीप फ्रीजर के मौजूदा/पहले से स्वीकृत मॉडल पर लेबल चस्पा करने की अनुमति जारी रखने की मांग करने वाले अनुज्ञापत्रधारी द्वारा घोषणा

(प्रत्येक अलग-अलग मॉडल के लिए, संबंधित उपाबंध के साथ एक अलग पत्र प्रस्तुत किया जाए)

(कॉर्पोरेट निकाय अथवा अनुज्ञापत्रधारी के लेटर हेड पर)

तारीख:

सेवा में,

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर 1, आर के पुरम,

नई दिल्ली-110 066

भारत।

विषय: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डीप फ्रीजर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2023 के अधीन, से प्रभावी स्टार लेबल के पुनरीक्षण पर, लेबल चस्पा करने की अनुमति के लिए आवेदन।

1. मैं/हम डीप फ्रीजर के विनिर्माता अथवा आयातकर्ता हूँ/हैं जो [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] की शैली में [पूरे पते के साथ कंपनी का नाम] में व्यवसाय कर रहा / रहे हूँ / हैं, एतद्वारा ब्यूरो द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डीप फ्रीजर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2023, जिनके माध्यम से से स्टार लेबल का पुनरीक्षण किया जाएगा, में यथाविनिर्दिष्ट डीप फ्रीजर पर लेबल लगाने की अनुमति के लिए आवेदन करता / करते हूँ / हैं।
2. उपरोक्त उपस्कर [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] द्वारा विनिर्मित या आयात किया जाता है और इसे (कारखाने का नाम और पता) में विनिर्मित किया जाता है या (आयातकर्ता का नाम और पता) से आयात किया जाता है;

3. नए स्टार लेवल के प्रति अनुरूपता: मैं/हम डीप फ्रीजर के लिए तारीख के का.आ. संख्या..... में यथाविनिर्दिष्ट सारणी..... के अनुसार सारणी में किए गए परिवर्तन का अनुपालन करता/करते हूँ/हैं। उपरोक्त उपस्कर के संबंध में ब्यूरो के अनुमोदन की एक प्रति (जिसे पहले अनुमोदित किया गया था) संलग्न है।
4. डीप फ्रीजर के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो लेवल (स्टार लेवल परिवर्तन के पुनरीक्षण के अनुसार) की एक प्रति संलग्न है।
5. स्टार लेवल के संशोधन के अनुसार उपस्कर/मॉडल के ब्यौरे

मॉडल का नाम - _____

विवरण	घोषित मान	
वार्षिक ऊर्जा खपत (किलोवाट-घंटा/वर्ष)	--	
सकल परिमाण (लीटर)	--	
भंडारण परिमाण (लीटर)		
पुल डाउन टाइम (मिनट)	--	
स्टार रेटिंग	(मौजूदा स्टार लेवल के अनुसार)	(पुनरीक्षित स्टार लेवल के अनुसार)

6. मैं/हम मैनुअल आवेदन के साथ-साथ ऑनलाइन वेब पोर्टल में स्टार लेवल को [मौजूदा स्टार लेवल] से [पुनरीक्षित स्टार लेवल] में परिवर्तित के लिए सहमत हूँ/हैं।
7. मैंने डीप फ्रीजर मॉडल के लिए अब तक का अपने तिमाही उत्पादन आंकड़ों और लेबलिंग फीस जमा कर दिया है।
8. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के मामले में आवश्यक सहायता/सहयोग करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
9. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और आपत्ति (चैलेंज) परीक्षण के लिए नमूने के चयन के लिए अधिकृत करता/करते हूँ/हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
10. मैं/हम वचन देते हैं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है, और यदि दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है, तो आवेदन को तुरंत अस्वीकार किया जा सकता है।

तारीख

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

..... के लिए और उसकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप VII

[विनियम 11 का उप-विनियम (6) देखें]

द्वितीय जांच परीक्षण में विफल रहने पर अनुज्ञापत्रधारी को निर्देश

नई दिल्ली, तारीख.....

सेवा में,

.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डीप फ्रीजर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसार, आपको, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीख के पत्र संख्या के अधीन, उसमें विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुपालन के अध्याधीन, डीप फ्रीजर पर लेबल चस्पा करने की अनुमति दी गई थी।

2. ब्यूरो ने इन विनियमों के विनियमन के अधीन, आपके अधिकृत वितरक, व्यवहारी, खुदरा विक्रेता से बीजक संख्या तारीख के माध्यम से रूपये की कीमत पर एक स्टार लेबलीकृत डीप फ्रीजर रुपये खरीदा था और मेसर्स, जो खरीदे गए उक्त डीप फ्रीजर पर आपके द्वारा चस्पा किए गए लेबल पर प्रदर्शित विशिष्टियों के विनियम 3 के अधीन के सत्यापन के लिए ब्यूरो द्वारा नियुक्त एक अभिकरण है, द्वारा तारीख के नमूने के रूप में उठाया गया था। मेसर्स द्वारा सम्यक रूप से सीलबंद नमूना जिसका मॉडल नंबर, क्रमांक (सीरियल नंबर), विनिर्माण का वर्ष है, मेसर्स.....(वितरक, व्यवहारी, खुदरा विक्रेता का नाम) से सत्यापन अभिकरण के सम्यक रूप से अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के अध्याधीन से खरीदा / क्रय किया गया था।

3. ब्यूरो ने अपनी उक्त सत्यापन अभिकरण के माध्यम से पैरा 2 में निर्दिष्ट नमूने को का.आ. संख्या तारीख के उपाबंध में दिए गए प्ररूप के अनुसरण में जांच रिपोर्ट देने के लिए का.आ. संख्या तारीख के पैरा 4 और 5 में उल्लिखित परीक्षण प्रक्रिया के अनुसरण में परीक्षण करने के लिए मेसर्स, जो राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला है, को पहुंचाया था।

4. विशिष्ट पहचान क्रमांक वाले नमूने पर परीक्षण रिपोर्ट के परिणाम संलग्न हैं। परीक्षण रिपोर्ट के परिणामों से पता चला है कि नमूनाकृत डीप फ्रीजर ऊर्जा खपत अर्थात् बिजली खपत के मानदंडों, आदि को पूरा करने में विफल रहे और आपके द्वारा विनिर्मित / आयातित डीप फ्रीजर पर लेबल चस्पा किए जाने के लिए मांगी गई अनुमति के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न प्ररूप I में आपके द्वारा प्रस्तुत परीक्षण विवरण और परिणामों के अनुरूप नहीं थे। परीक्षण के परिणाम आपको आपके अधिकृत संपर्क व्यक्ति के नाम से ब्यूरो के पत्र संख्या तारीख के माध्यम से प्रेषित किए गए थे। आपको, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला, मेसर्स..... में नमूनों के द्वितीय जांच सत्यापन परीक्षण में भाग लेने और उपस्थित होने की भी आवश्यकता थी।

5. द्वितीय जांच परीक्षण के लिए नमूना, हमारी अधिकृत अभिकरण मेसर्स के माध्यम से तारीख को लिया गया था और मेसर्स द्वारा सम्यक रूप से सीलबंद करते हुए, हमारी अधिकृत अभिकरण द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला में पहुंचाया गया था और सत्यापन अभिकरण के सम्यक रूप से अधिकृत प्रतिनिधि के साथ-साथ आपके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के अधीन से प्राप्त उक्त नमूने पर अंकित विशिष्ट पहचान क्रमांक दिया गया था।

6. द्वितीय जांच परीक्षण के परीक्षण परिणाम संलग्न हैं, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला के सक्षम अधिकृत कर्मी द्वारा सम्यक रूप से जांचा गया है और प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं। द्वितीय जांच परीक्षण के साक्षी के रूप में परीक्षण रिपोर्ट पर आपके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा भी सम्यक रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं। परीक्षण के परिणामों से इस बात की पुष्टि हुई है कि वे का.आ. संख्या..... तारीख में दिए गए अपेक्षित मापदंडों और मानकों तथा विनिर्मित/आयातित और बाजार में बेचे गए डीप फ्रीजर पर चस्पा किए गए लेबल पर विवरण प्रदर्शित करने के लिए आपको दी गई अनुमति के निबंधन और शर्तों को पूरा करने में विफल रहे।

7. ब्यूरो, एतद्वारा, आपको डीप फ्रीजर के लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेबल में सुधार करने या परीक्षण के दौरान पाए गए दोषों और कमियों को दूर करने; ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस लेने; और विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विशिष्टियों को बदलने का निदेश देता है।
8. आपको इस पत्र के जारी होने की तारीख से दो मास के भीतर उपरोक्त सुधारात्मक कार्रवाई को पूरा करने और दो मास की समाप्ति के दस दिन के भीतर, अर्थात् तक, प्ररूप VIII में अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निदेश दिया जाता है। यदि उक्त तारीख तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो ब्यूरो इन विनियमों के अधीन आगे की कार्रवाई करेगा।
9. ब्यूरो इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार अतिरिक्त अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

सचिव,
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक:

1. विफल मॉडल की परीक्षण रिपोर्ट
2. विनिर्माता के साथ पत्राचार

प्ररूप VIII

की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट

[विनियम 11 का उप-विनियम (7) देखें]

(संगठन के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाए)

तारीख:

सेवा में

सचिव,
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथा तल, सेवा भवन,
सेक्टर 1, आर के पुरम,
नई दिल्ली-110 066
भारत।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डीप फ्रीजर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसार, हमें मेसर्स, जो डीप फ्रीजर के विनिर्माता हैं, को मॉडल संख्या के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीख के पत्र संख्या के अधीन स्टार लेबल के ऊर्जा खपत मानक के अनुरूप डीप फ्रीजर पर लेबल चस्पा करने की अनुमति दी गई थी।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डीप फ्रीजर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उप-विनियम (4) के उपबंधों के अनुसार, हमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीख..... के पत्र संख्या के अधीन आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के निदेश दिए गए थे। ब्यूरो द्वारा जारी निदेश के आलोक में, हम घोषणा करते हैं कि हमारी ओर से निम्नलिखित कार्रवाई की गई है।

	निदेशित कार्रवाई	स्थिति	की गई कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए डीप फ्रीजर के लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेवल में सुधार करें	हां/नहीं/लागू नहीं	तारीख से स्टार लेवल में स्टार से स्टार तक सुधार कर लिया गया है।
(ii)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस लें। और	हां/नहीं/लागू नहीं	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लिए गए हैं।
(iii)	विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विशिष्टियां बदलें।	हां/नहीं/लागू नहीं	हां/नहीं/लागू नहीं

उपरोक्त घोषणा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

..... के लिए और उसकी ओर से

कंपनी/फर्म आदि का नाम

फर्म/कंपनी की मुहर

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2023

No. BEE/S&L/Deep Freezer/128/2022-23.—Whereas the draft regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Deep Freezers) Regulations, 2022, were published vide notification number BEE/S&L/Deep Freezer/128/2022-23 as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby within the specified period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas copies of the said draft regulations were made available to the public on 29th June, 2022;

And whereas suggestions have been received with respect to the said draft regulations within the period aforesaid;

And whereas the suggestions received in this regard have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 and clause (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Deep Freezers) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

- “Act” means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);
- “Deep Freezer” means an appliance as specified in the notification under clause (b) of section 14 of the Act. The product category covers hard top and glass top type deep freezers;
- “Form” means a form appended to these regulations;

- (d) “label” means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon the Deep Freezer
- (e) “label period” means the validity period of the energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, provided that if, by the ending timeline of the label validity period, the new energy consumption standards under clause (a) of section 14 of the Act are not notified, the existing standards shall be deemed to be valid until new values for the same are notified by the Central Government;
- (f) “permittee” means a person or agency to whom permission has been granted to affix label under regulation 7;
- (g) “Schedule” means the Schedule annexed to these regulations;
- (h) “star rating or star level” means the grade of energy efficiency displayed on the label of the deep freezer based on annual energy consumption notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act; and
- (i) “trader or seller” in relation to any deep freezer means a person who sells or distributes such deep freezer and includes shopkeeper, trader, manufacturer and permittee who has been given permission to affix label on such deep freezer.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Particulars to be displayed on label.- (1) On every deep freezer, the following particulars shall be displayed on its label, namely:-

- (a) star level;
- (b) logo of the Bureau of Energy Efficiency;
- (c) name of appliance;
- (d) name of manufacturer or importer and brand;
- (e) model and year of manufacturing or import;
- (f) type of deep freezer (hard top or glass top chest freezer);
- (g) storage volume;
- (h) electricity consumption (units per year in kWh);
- (i) unique series code; and
- (j) label period;

(2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.

4. Time limit for display of labels.-

(1) Transition from Voluntary to Mandatory regime.- A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every deep freezer within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.

(2) Revision of Mandatory Energy Consumption Standards.- On and from commencement of revised energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee or trader or seller-

- (a) shall not produce the deep freezer with the previous energy consumption standards;
- (b) shall display revised star level and label period with the revised energy consumption standard and the manufacturing year of the deep freezer in synchronization with revised energy consumption standards;
- (c) shall take necessary preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers are well planned and action taken three months in advance.

5. Manner of display of label.- (1) There shall be a label on deep freezer which shall be displayed at the point of sale and such label shall be affixed on deep freezer in the following manner, namely:-

- (iii) the label shall be firmly affixed on upper right portion on front side of each appliance;
- (iv) the label shall be of self- adhesive material. The markings required by the schedule shall be legible, indelible and durable.

(2) For deep freezer not on display, the label may be affixed to the exterior of the packing and the label may be attached to the unit when put on sale.

6. Permission for display of label.- (1) No star label shall be affixed on a deep freezer without obtaining the prior permission of the Bureau.

(2) Company registration.- For the purposes of obtaining permission of the Bureau under sub-regulation (1), an application for registration shall be made for every brand separately as specified in Form I, accompanied by a label security deposit of One lakh rupee payable by any acceptable electronic mode of payment.

(3) Model registration.- Every application of the permittee under sub-regulation (2) shall be accompanied by—

- (a) an application fee of two thousand rupees per model, payable by any acceptable electronic mode of payment;
- (b) documents specified in Form II.

7. Grant of permission.- (1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period as specified in Disseminating Star Labeling in Household Appliance, DISHA (Bureau's Operation Manual on Standards and Labelling) subject to such terms and conditions as specified in regulation 8, –

- (a) register the brand in Form III via electronic mode; or
- (b) grant permission for affixing label on deep freezer in Form IV via electronic mode.

(2) The Bureau shall maintain a register in Form V and enter the name of the permittee therein.

(3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for such period till which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act is in force.

(4) In case of revision of star rating plan, an application for renewal of permission shall be made by the permittee not later than one month before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees one thousand payable in electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.

Provided, in case of extension of star rating plan, the said renewal fee of rupees one thousand shall be exempted.

(5) An application not renewed within the effective period of validity for the energy consumption standard shall be treated as expired till the time, application for renewal is submitted and successfully approved by the Bureau.

(6) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form IV.

(7) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the deep freezer from the date from which the revised star level comes into force, shall submit a declaration in Form VI.

(8) The permittee shall seek permission to affix label afresh, if new model of the deep freezer is planned to be launched synchronizing with the revised star level, and application for such permission shall be made six months in advance of coming into force of the revised star level.

8. Terms and conditions for display of particulars on label.- Every permittee, trader and seller shall,-

- (a) comply with the energy consumption standards for deep freezer notified under clause (a) of section 14 of the Act;
- (b) affix label only on such model of deep freezer for which permission has been granted;
- (c) affix label on deep freezer at the cost of the permittee;
- (d) ensure that the star level displayed on the label of deep freezer shall be maintained at all time;
- (e) pay the label fee as specified in regulation 9;
- (f) furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of closure of each quarter of the financial year;
- (g) furnish to the Bureau an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell their labelled products by 30th day of April of each year; and
- (h) comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify including those contained in Disseminating Star Labeling in Household Appliance, DISHA (Bureau's Operation Manual on Standards and Labelling).

9. Label fee. - (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of rupees five only for each label affixed on deep freezer;

(2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year;

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten per cent. per annum from the label security deposit paid under clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 6 and if complete labelling fees are not recovered within one year of the last date of submission, the Bureau may cancel the permission to labels granted to the permittee and publish his name in the national or regional daily newspapers and in electronic means as a defaulter.

10. Refund of label security deposit. - Subject to the provisions of sub-regulation (2) of regulation 9, the permittee shall be entitled to a refund of the label security deposit, on ceasing to manufacture deep freezer.

11. Verification by Bureau.- (1) The Bureau or its designated agency may, either *suo motu*, or on a complaint received by it, carry out verification to ensure that the deep freezer conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.

(2) All tests including the annual energy consumption, pull down time and storage volume tests shall be conducted for the purpose of verification and challenge testing.

(3) For the purpose of verification, samples shall be picked up at random by the Bureau or its designated agency from the manufacturing facility, warehouse or the retail outlet as it deems fit.

(4) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification by challenge testing the deep freezer in an independent laboratory duly accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories,-

- (a) the Bureau shall issue a notice to the permittee for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit, such expenses relating to sample cost, testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by Bureau.
- (b) if the sample drawn under challenge testing fails, all expenses as specified shall be reimbursed by the permittee to the Bureau and the Bureau shall refund the aforesaid expenses to the complainant; and
- (c) where the equipment passes the challenge test, then the expenses deposited by the complainant shall be forfeited.

(5) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), if the permittee fails to deposit such expenses referred to in sub-regulation (3) within such time, the Bureau shall,-

- (a) continue the verification by challenge testing the deep freezer referred to in sub-regulation (3); and
- (b) the processing of application received under regulation 6 may be kept in abeyance till such expense are deposited.

(6) Where a sample of deep freezer used for testing fails the test during *suo motu* testing or challenge testing, the Bureau shall offer the permittee, another opportunity and conduct a second test with twice the quantity of deep freezer used in the first test, in an independent test laboratory which is different from the lab where the first check testing was conducted and shall be duly accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories at the cost of the permittee.

(7) Where the second test fails, the Bureau shall,-

- (a) direct the permittee in Form VII, under intimation to all the State designated agencies, that the permittee within a period of two months shall,-
 - (i) correct the star level displayed on the label of the deep freezer or remove the defects and deficiencies found during testing;
 - (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
 - (iii) change the particulars displayed on advertising material.
 - (b) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months;
 - (c) intimate to the concerned State designated agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.
- (8) The permittee shall, within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (6),-
- (a) send the compliance report in Form VIII to the Bureau with respect to action taken in compliance with the direction; and
 - (b) in case the compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed to be non-compliance of the direction issued and orders to that effect shall be passed by the Bureau.

(9) The Bureau shall send the compliance report referred to in clause (a) and orders passed in clause (b) of sub-regulation (7) along with necessary documents to all the State designated agencies for the purpose of taking action under section 17 and enforcement of order passed under clause (b) of said sub-regulation.

(10) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (6), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies shall,-

- (a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;
- (b) send a report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standards notified by the Central

Government under clause (a) of section 14, the directions of the Bureau referred to in clause (a) of sub-regulation (7) for consideration and taking action under clause (c) of section 14 of the Act by the Central Government;

- (c) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months;
- (d) intimate to the concerned State designated agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

12. Cancellation of permission. - The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7, if the permittee,-

- (a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;
- (b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9;
- (c) fails to comply with the directions issued under regulation 11; and
- (d) Provided that no permission shall be cancelled without giving an opportunity of being heard to the permittee.

ABHAY BAKRE, Director General

[ADVT.-III/4/Exy./589/2022-23]

SCHEDULE


[See sub-regulation (2) of regulation 3]

Particulars to be displayed on label of Deep Freezer.

1. Label design

(i) Dimension:

(a) Dimension of the label to be affixed on upper right portion on front side of each appliance:




(ii) Colour scheme for the label :

NAVY BLUE – C: 97, M:95 , Y:6 , K:1

GREEN – C: 81 , M: 10 , Y:90 , K:1

*Note: Bottom of Bureau's logo and star filler in **GREEN** colour only and all fonts and top of Bureau's logo in **NAVY BLUE***



(iii) Colour scheme of Bureau of Energy Efficiency logo:

BLUE –

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%

Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54

Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151

Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%

Web colour code - #363797

GREEN –

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%


Luminance or lightness(L) :61, chromatic components -a:-53 b:32

Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87

Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%

Web colour code - #00AA56;

(iv) The complete specimen of a printed label for deep freezer:



2. Label material

The label shall be self-adhesive and printed as per the dimensions provided above. The markings required by the schedule shall be legible, indelible and durable.

FORM I

[See sub-regulation (2) of regulation 6]

(To be printed in company letter head)

Application for registration of brand of Deep Freezer under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Deep Freezer) Regulations, 2023

The Director General

Bureau of Energy Efficiency,

(Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan, Sector-I, R.K. Puram,

New Delhi – 110066 India.

1. I/We are the manufacturers of Deep Freezer carrying out business at (full business address) under the style of (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on Deep Freezer as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display of the Label on Deep Freezer) Regulations, 2023.
2. The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility and payment is given in Annexure A- I. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

(a) Applicant/Authorised person: (Name and designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm etc. and will be responsible for accuracy of the information supplied with this application.

(b) Contact Person: (Name and designation) is authorised contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and use of the label.

(c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorised persons defined in (a) or (b) above.

3. Production and sales figures of the said equipment and the value there of to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)
Last Year from..... to.....			
Current Year from..... to..... (estimate)			

4. A label security deposit of one lakh rupees or twenty-five thousand rupees.....has been paid by electronic mode..... dated.....(To be filled only at the time of submission of label security deposit).
5. I/We agree to pay the labelling fee as specified by the Bureau.
6. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
7. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
8. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated thisDay of..... (Year)

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm) / SEAL OF FIRM

Annexure A- I

[See para 2 of Form I]

1. Details of the Company

Name of the Company	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-mail	
Website	

Enclosures to support registration:	Yes/No
(a) Document authenticating the name and address of the manufacturing or business premises	
(b) Trade Mark Certificate	
(c) SSI Certificate, if applicable	
(d) Quality Management System Certificate	
(e) Authorised Signatory Letter	
(f) BIS License, if applicable	
(g) Payment receipt in case payment is made online	

2. Details of the manufacturing premise (a separate table may be provided in case of more than one manufacturing facility)

Name of the manufacturing facility	
Address	
Pin Code	
State / Country	
Phone No.	
Fax No.	
E-mail	
Website	
Any other details (if any)	

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM II

[See sub-regulation (3) of regulation 6]

Application for permission to affix label on Deep Freezer under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Deep Freezer) Regulations, 2023

The Director General

Bureau of Energy Efficiency,

(Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector-I, R.K. Puram,

New Delhi - 110066

India.

1. I/We are the registered manufacturers of Deep Freezer under the brand name (Name of the brand) and the unique label series code issued by Bureau of Energy Efficiency is

2. The above equipment is manufactured or imported by(Name of the company) in the brand name and is manufactured at (Name and address of the factory).
3. The details of the information in respect of the equipment, certification of test products, labels and payment is given in Annexure A- II and relevant photocopies are enclosed.
4. Conformance to standards : I/We to the Indian Standard/other International Standards in respect of Quality System/ Other Standards in accordance with Indian Standard/Others (name and number of the standard) as specified in the notification on(title of the notification) for the (name of the equipment).

I/We have made arrangement for testing at our in-house laboratory (name and address where the lab is located) _____ or at independent laboratory _____ (Name and address of the laboratory) which is accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) or any other international accreditation body having MRA with Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) and/or International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for ensuring consistency in quality of the equipment as well as the scope of the relevant Indian Standard/International Standard Organization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) standards as specified in S.O.....

Laboratory details:

(a) Accreditation Board:

(b) Accreditation status:

(i) For Laboratory: (Yes/No)

(ii) For Test Standards: (Specify relevant product standard name/number)

(iii) For relevant test method (specify name of the test)

5. (a) An application fee of two thousand rupees has been paid via electronic mode.....dated.....
6. I/We agree to pay the labelling fee of five rupees per label as specified by the Bureau.
7. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
8. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
9. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated thisDay of..... (Year)

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

Annexure A- II

[See para 3 of Form II]

Details of Information

1. Product/Equipment Detail

1.1 General (Complete the details as applicable)

Appliance and Type
Brand Name
Model Name and Number

Type of Deep Freezer (Hard top/ glass top)
Rated voltage or volage range / frequency / no. of phase:
Rated Electricity Consumption per year (kWh per year)
Rated Storage Volume (litres)
Star rating

1.2 Technical details (Complete the details as applicable)

a) Tested Values:

S.No	Measured Values	Rated Values
1.	Measured Annual Energy Consumption (kWh/year)	Rated Annual Energy Consumption (kWh/year)
2.	Measured Gross Volume (litres)	Rated Gross Volume (litres)
	Measured storage Volume (litres)	Rated storage Volume (litres)
3.	Measured Pull down time (minutes)	Rated Pull down time (minutes)

(*The said details are to be furnished for 2 samples/units of model)

2. Details of test laboratory

Name of the test laboratory	
Accreditation status (i) For Laboratory (ii) For Relevant standards (Attach copy of the accreditation certificate)	Yes/No
Validity of the accreditation (Attach supporting document)	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	


3. Labelling information

Date of commencement	
Number of labels applied for BEE for the first year - for the second year - for the third year -	
Product Serial No.	From _____ To _____

4. Model Details:

Model	Model Name/Model Number

5. Specimen of the label to be affixed on Deep Freezer is shown below:



Date

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM III

[See clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 7]

Permission for registration of brand of Deep Freezer under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Deep Freezer) Regulations, 2023

New Delhi, dated.....

To

.....

1. Pursuant to the provisions of Regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Deep Freezer) Regulations, 2023, the Bureau hereby permits you to register your brand as per details of approvals set out in the Annexure A- III to this letter.
2. This permission is subject to—
 - (a) the star level displayed on the label of the Deep Freezer shall conform to energy consumption standards for Deep Freezer notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 - (b) the label shall be stamped only on such model of Deep Freezer for which permission has been granted;
 - (c) the label shall be affixed on the product Deep Freezer and printed/affixed on the product packaging at the cost of the permittee;
 - (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the Deep Freezer shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee shall pay the label fee as specified by the Bureau;
 - (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through automated system;
 - (g) the permittee shall make available such other details of Deep Freezer as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.
3. The permittee shall not withdraw the registered brand and the Deep Freezer from the market during the validity period except with the prior approval of the Bureau.
4. The unique label series code assigned by the Bureau of Energy Efficiency for the brand is..... and should appear on the label as per the approved design.
5. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth..... year.

Yours faithfully

(Secretary)

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

Annexure A- III

[See para 1 of Form III]

Details of Approvals

7. Details of the Company

Name of the Company	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	

Fax No.	
E-mail	
Website	

2. **Name of the brand registered:**

3. **Unique Series Code:**

4. **Other details (if applicable):**

Date.....

Yours faithfully

(Secretary)

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

FORM IV

[See clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 7 and sub-regulation (6) of regulation 7]

Permission/renewal of permission to affix label on Deep Freezer under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Deep Freezer) Regulations, 2023

New Delhi, dated.....

To

.....

1. Pursuant to the provisions of Regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Deep Freezer) Regulations, 2023, the Bureau hereby permits you to stamp and print or affix label as per details of approvals set out in the Annexure A- IV to this letter.
2. This permission is subject to—
 - (a) the star level displayed on the label of the Deep Freezer shall conform to energy consumption standards for Deep Freezer notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 - (b) the label shall be affixed only on such model of Deep Freezers for which permission has been granted;
 - (c) the label shall be affixed on the Deep Freezer at the cost of the permittee;
 - (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the Deep Freezers shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee shall pay the label fee of five rupees per label;
 - (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through automated system;
 - (g) the permittee shall make available such other details of Deep Freezers as and when sought by the Bureau for which the permission has been granted.

5. This permission shall be valid with effect fromto..... and may be renewed as prescribed. The permittee shall not withdraw the deep freezers from the market during the validity period except with the prior approval of the Bureau.
6. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth..... year.

Yours faithfully

(Secretary)

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

Annexure A- IV

[See para 1 of Form IV]

Details of Approvals

5. Details of the equipment

a) **Brand:**

b) **Model Details:**

Model	Model Name	Model Number

c) **Technical Specification:**

S.No.	Measured Values	Rated Values
1	Annual Energy Consumption (kWh/year)	Annual Energy Consumption (kWh/year)
2	Gross Volume (litres)	Gross Volume (litres)
3	Storage Volume (litres)	Storage Volume (litres)
4	Pull down time (minutes)	Pull down time (minutes)


(*The said details are to be furnished for 2 samples/units of model)

2. Label Details

Appliance and Type	
Brand Name	
Model Name and Number	
Type of Deep Freezer (Hard top/ glass top)	
Rated voltage / frequency / no. of phase:	
Rated Electricity Consumption per year (kWh per year)	

Rated Storage Volume (litres)	
Star rating	

- The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule of this regulation.
- Specimen of the label duly approved by the Bureau to be affixed on the Deep Freezers is shown below:



The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the Deep Freezer.

Date

Yours faithfully

(Secretary)

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

FORM V

[See sub-regulation (2) of regulation 7]

Register of Permittee

S. No.	Application number and date of permission	Name and details of the permittee (Contact Person, Address,	Details of equipment for which the permission has been granted	Star level and Rated Electricity Consumption (kWh/year)	BEE permission number and unique label series	Validity period for which the permission has been granted

		Pin Code, State, PhoneNo., Fax No., E- mail, Website)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Amount of label security deposit	Label security deposit received by (Electronic transaction (Details): Date:)	Application Fees details of Amount received (Electronic transaction (Details) : Date :)
(8)	(9)	(10)

Number of labels affixed at the end of each financial year	Amount of labelling fee due w.r.t. production data	Labelling fee details of Amount received (Electronic transaction (Details): Date:)	Remarks
(11)	(12)	(13)	(14)

Form VI

[See sub-regulation (7) of regulation 7]

Declaration by permittee seeking continuation of the permission to affix label on the existing/already approved model of Deep Freezer

(For each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure)

(On the letter head of corporate body or Permittee)

Date:**To**

The Director General

Bureau of Energy Efficiency

(Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector 1, R.K.Puram,

New Delhi-110 066

India.

Sub: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Deep Freezer) Regulations, 2023 on revision of star level effective from

- I/ We are the manufacturers or importers of Deep Freezer carrying on business at [COMPANY NAME WITH FULL ADDRESS] under the style of [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] hereby apply for permission to affix label on Deep Freezers as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Deep Freezer) Regulations, 2023 which would go for revision of star level with effect from.....
- The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER);

7. Conformance to New star level: I/We conform to the table change as per TABLEas specified in the S.O. numberdated.....for Deep Freezers. A copy of the Bureau's approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.
8. A copy of the Bureau of Energy Efficiency Label (as per revision of star level change) in respect of the Deep Freezers is enclosed.
9. Details of the Equipment / Model as per revision of star level

Model Name - _____

Particulars	Declared Values	
Annual Energy Consumption (kWh/year)	--	
Gross Volume (litres)	--	
Storage Volume (litres)		
Pull down time (minutes)	--	
Star Rating	(As per existing star level)	(As per the revised star level)

6. I/We agree to change the star level from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] To [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application as well as in the online web portal.

7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the Deep Freezer model.

8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

9. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:

Day of (Year)

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM VII

[See sub-regulation (6) of regulation 11]

Direction to permittee on failure of second check testing

To

New Delhi, dated the.....

.....

.....

.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (**Particulars and Manner of their Display on Label of Deep Freezer**) Regulations, 2023 you were permitted to affix label on the Deep Freezer vide Bureau of Energy Efficiency letter No.dated.....subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under regulation ... of these regulations, had purchased a star labelled Deep Freezer from your authorised distributor, dealer, retailer vide Invoice numberdated..... for a price of Rs..... and lifted as a sample datedby M/s....., an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3, affixed by you on the aforesaid purchased Deep Freezers. The sample duly sealed by M/s..... bearing model number....., serial number....., year of manufacturing.....was purchased/ bought from M/s.....(Name of the distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorised representative of the verification agency.

3. The Bureau through its aforesaid verification agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s., a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 4 and 5 of. S.O. numberdated thefor giving Test Report in accordance with the formgiven in Annexure to S.O. numberdated the

4. The results of the test report on the sample bearing unique identification serial number is enclosed. The results of the test report indicated that the sampled Deep Freezers failed to meet the energy consumption norms i.e. electricity consumption, etc. and did not conform to the test details and results furnished by you in Form I annexed to the application submitted by you for seeking permission to affix label on the Deep freezers manufactured/imported by you. The test results were sent to you vide Bureau letter No.....dated.....in the name of your authorized contact person. You were also required to attend and witness the Second Check Verification Test of the samples at the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory M/s.....

5. The sample for second check testing was picked updated the through our authorized Agency M/s.and transported to the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory transported by our authorized agency, duly sealed by M/s..... and was given unique identification serial number embossed on the said sample obtained fromunder signatures of the duly authorized representative of the verification agency as well as your representatives.

6. The test results of second check testing are enclosed which are dully checked and counter signed by the competent authorized personnel of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory. The test report is also duly signed by your authorized signatory as witness of second check testing. The test results confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O. number....dated,and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the Deep Freezers manufactured/imported and sold in the market .

7. The Bureau hereby directs you to correct the star level displayed on the label of the Deep Freezers or remove the defects and deficiencies found during testing; withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and change the particulars displayed on advertising material.

8. You are hereby directed to complete the aforesaid corrective action within two months from the date of issue of this letter and send the compliance report in Form VIII within ten days after the expiry of two months, i.e., byIn case no compliance report is received by the said date, the Bureau shall proceed to take action under these regulations.

9. The Bureau shall take further follow up action in accordance with the provisions of these regulations.

Secretary,
Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Test reports of the failed model
2. Correspondence with the manufacturer

Form VIII

Action Taken Report

[See sub-regulation (7) of regulation 11]

(To be furnished on letter head of the organisation)

To**Date:**

The Secretary,
Bureau of Energy Efficiency
(Ministry of Power, Government of India)
4th Floor, Sewa Bhawan,
Sector 1, R.K.Puram,
New Delhi-110 066, India.

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Deep Freezer) Regulations, 2023, we M/s.....the manufacturer of Deep Freezer were permitted to affix label on the Deep Freezers conforming to the energy consumption standard ofstar level vide Bureau of Energy Efficiency letter No.....dated.....for the model number.....

Pursuant to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Deep Freezers) Regulations, 2023, we were given directions vide Bureau of Energy Efficiency letter number.....dated..... to take necessary corrective action. In the light of directive issued by the Bureau, we hereby declare that the following actions have been taken at our end.

	Action Directed	Status	Action Taken
(i)	Correct the star level displayed on the label of the Deep Freezers to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected from.....star to.....star with effect from (Date)
(ii)	Withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau.	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.
(iii)	Change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA

The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.

Signature.....

Name.....

Designation.....

For and on behalf of.....

Name of the Company/Firm etc

Seal of the Firm/Company